



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272301  
CG-DL-E-07052026-272301

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2173]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2173]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2264(अ).— केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त, हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14) का, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात्:—

उपांतरण

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तारित हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), में,—

1. उक्त अधिनियम की धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 

“1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित) है।

(2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।”
2. उक्त अधिनियम में, जब तक आगे अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो,—
  - (क) “सरकार” शब्द, जहाँ भी आता है, के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा;
  - (ख) “राज्य” शब्द, जहाँ भी आता है, के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़” शब्द रखे जाएंगे;
  - (ग) “हरियाणा राज्य”, शब्द जहाँ भी आते हैं, के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़” शब्द रखे जाएंगे;
  - (घ) “निदेशक”, शब्द जहाँ भी आता है, के स्थान पर “मुख्य अग्नि अधिकारी” शब्द, धारा 31 में उल्लिखित के अतिरिक्त, रखे जाएंगे;
  - (ङ) “जिला मजिस्ट्रेट”, शब्द जहाँ भी आता है, के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा।
3. उक्त अधिनियम की धारा 2 में,—
  - (क) खंड (क) में, “हरियाणा सरकार के प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव” शब्दों के स्थान पर “चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय सरकार विभाग के सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे;
  - (ख) खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
 

‘(कक) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(कख) “प्रशासन” से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का चंडीगढ़ प्रशासन अभिप्रेत है।’;
  - (ग) खंड (ख) में, “हरियाणा म्यूनिसिपल अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का 24वाँ अधिनियम)” शब्दों के स्थान पर “पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994” शब्द रखे जाएंगे;
  - (घ) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
  - (ङ) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) '(घक) "आयुक्त" से पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के अधीन नियुक्त नगर निगम, चंडीगढ़ का आयुक्त अभिप्रेत है।';
- (च) खंड (ड) में, "सहायक मंडल अग्नि शमन अधिकारी और अग्नि शमन स्टेशन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "स्टेशन अग्नि शमन अधिकारी और उप-अग्नि शमन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;
- (छ) खंड (च) में, "धारा 4 के अंतर्गत" शब्दों के पूर्व "इस अधिनियम की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ज) खंड (झ) में, "सरकार या स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
- (झ) खंड (त) में, "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग-4 के नियमों के अनुसार, जरूरी है तथा जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो" शब्दों के स्थान पर "जैसा कि इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए" शब्द रखे जाएंगे;
- (ञ) खंड (द) का लोप किया जाएगा;
- (ट) खंड (ध) में, "नगर निगम, नगर परिषद, नगर कमेटी, गाँव पंचायत व छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे अग्नि सुरक्षा सेवा देने और बनाये रखने के लिए बनाया गया है" शब्दों के स्थान पर "नगर निगम, चंडीगढ़" शब्द रखे जाएंगे;
- (ठ) खंड (म) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(म) "अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण" से ऐसा व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम की धारा 55क के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो।';

- (ड) खंड (म) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(मक) "यू.टी. चंडीगढ़" से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।'

4. उक्त अधिनियम की धारा 4 में, "सरकार ग्रुप 'ए' सेवाओं के किसी भी सही अधिकारी को हरियाणा अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं का निदेशक नियुक्त कर सकती है" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक किसी उपयुक्त अधिकारी को मुख्य अग्नि अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है" शब्द रखे जाएंगे।
5. उक्त अधिनियम की धारा 5 में,-
- (क) उप-धारा (1) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उप-धारा (2) में, खंड (i), (ii), (iii) और (vii) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "आयुक्त के माध्यम से प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे;

- (ग) उप-धारा (2) में, खंड (ix) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ या नगर निगम, चंडीगढ़” शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) उप-धारा (2) में, खंड (xi) में, “हरियाणा राज्य का” शब्दों के स्थान पर “आयुक्त की ओर से” शब्द रखे जाएंगे।
6. उक्त अधिनियम की धारा 7 में,—
- (क) उप-धारा (1) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उप-धारा (3) में, खंड (ii) में, “जिला” शब्द के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़” शब्द रखे जाएंगे।
7. उक्त अधिनियम की धारा 8 में, “जिन्हें निर्धारित किया गया” शब्दों के स्थान पर “जैसा कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित नगर निगम अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे।
8. उक्त अधिनियम की धारा 10 में, खंड (v) में, “किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी” शब्दों के पश्चात् “इस प्रयोजन के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त अधिनियम की धारा 15 में,—
- (क) “सरकार” शब्द के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा;
- (ख) “अधिसूचना” शब्द के स्थान पर “सामान्य या विशेष आदेश” शब्द रखे जाएंगे।
10. उक्त अधिनियम की धारा 16 में, उप-धारा (4) में, “दस हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे।
11. उक्त अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “18. अग्निशमन स्कीम के अनुमोदन के लिए स्वामी या अधिभोगी की दायित्वता।—
- (1) अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भवन या उसके किसी भाग का स्वामी, अथवा जहाँ स्वामी का पता न चल सके, वहाँ अधिभोगी, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले भवनों के संबंध में, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से, यथाविधि विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य अग्नि अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अन्य अग्नि अधिकारी से अग्निशमन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा, अर्थात्:—

(क) सभी उच्च-भवन (16.5 मीटर तक की ऊँचाई वाले आवासीय भवनों को छोड़कर); और

(ख) विशेष भवन, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (i) होटल, शैक्षिक, संस्थागत, व्यवसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, भंडारण, जोखिमपूर्ण तथा मिश्रित उपयोग वाले भवन, जहाँ इनमें से किसी भी भवन का किसी एक या अधिक तल पर क्षेत्रफल पाँच सौ वर्ग मीटर से अधिक हो;
- (ii) ऐसे शैक्षिक भवन जिनकी ऊँचाई नौ मीटर या उससे अधिक हो;
- (iii) ऐसे संस्थागत भवन जिनकी ऊँचाई नौ मीटर या उससे अधिक हो;
- (iv) सभी सभा भवन;
- (v) ऐसे भवन जिनमें किसी भी तल पर सहायक सभा उपयोग का क्षेत्रफल तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक हो;
- (vi) ऐसे भवन जिनमें दो या अधिक बेसमेन्ट हों, अथवा एक बेसमेन्ट हो जिसका क्षेत्रफल पाँच सौ वर्ग मीटर से अधिक हो, जब तक कि उपबंधों में अन्यथा विशेष रूप से उल्लेखित न हो;
- (vii) ऐसा कोई अन्य भवन जैसा कि विहित किया जाए।

(2) मुख्य अग्नि अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य अग्नि अधिकारी किसी आवेदन का संज्ञान ले सकता है और ऐसे आवेदन की जाँच यथा विहित अपेक्षाओं के अनुसार करेगा।

(3) मुख्य अग्नि अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य अग्नि अधिकारी, जाँच के पश्चात्, उप-धारा (1) में उल्लिखित भवनों के लिए अग्निशमन योजना की स्वीकृति प्रदान कर सकता है या कारणों को लेखबद्ध करते हुए, यथा विहित समय के भीतर उक्त आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

परंतु मुख्य अग्नि अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य अग्नि अधिकारी, अग्निशमन स्कीम को स्वीकृति देते समय, व्यक्तियों की सुरक्षा तथा भवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जोखिम के स्तर के अनुसार, ऐसे अतिरिक्त शर्तें या अग्नि सुरक्षा उपाय आरोपित कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) किसी भवन की ऊँचाई, अपने आप में, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृति के लिए कोई सीमितकारी कारक नहीं होगी:

परंतु यह कि अधिभोग जोखिम और अग्नि भार के अनुरूप, यथा विहित मानकों के अनुसार पर्याप्त अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपाय, निकासी रणनीतियाँ, अग्निशमन पहुँच तथा आधुनिक अग्नि संरक्षण प्रणालियाँ सुनिश्चित की जाएँगी।”

12. उक्त अधिनियम की धारा 19 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, “उप-धारा (2) के अंतर्गत” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उप-धारा (1) में” शब्दों, कोष्ठकों और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) उप-धारा (4) में, “धारा 18 की उप-धारा (2) की शर्त (अ) में बताये गए भवनों के लिए जारी किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए वैध होगा, सोलह दशमलव पाँच मीटर (16.5 मीटर) से ज्यादा ऊँचे आवासीय भवनों के लिए पाँच साल के लिए वैध होगा और धारा 18 की उप-धारा (2) की शर्त (ब) में बताये गए विशेष भवनों के लिए तीन वर्ष के लिए वैध होगा” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “धारा 18 की उप-धारा (1) में उल्लिखित भवनों के लिए पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों रखे जाएंगे;
- (ग) उप-धारा (5) का लोप किया जाएगा;
- (घ) उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(6) स्वामी या अधिभोगी, यथास्थिति, अपने भवन या उसके किसी भाग में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र अग्नि अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में, उसी प्रकार का एक प्रमाण-पत्र, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी, इस आशय का कि ऐसे भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है और भवन में कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं किया गया है, अग्नि अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अग्नि अधिकारी ऐसे भवनों का यादृच्छिक निरीक्षण कर सकता है। यदि अग्नि सुरक्षा उपायों के अधीन विनिर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक कोई वृद्धि या परिवर्तन पाया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा और स्वामी धारा 18 के उपबंधों के अनुसार संशोधित अग्निशमन स्कीम की स्वीकृति हेतु आवेदन करेगा।”।

13. उक्त अधिनियम की धारा 20 में,—

- (क) उप-धारा (2) में, “अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, यथा विहित समय के भीतर कारण बताने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का

नवीनीकरण जारी करेगा या उसे अस्वीकृत कर देगा: परन्तु अग्नि अधिकारी या निदेशक द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, ज़मीनी स्थिति के आधार पर लोगों और भवन की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में कोई भी अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो उसे सही लगे” शब्दों के स्थान पर “मुख्य अग्नि अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अग्नि अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन या वृद्धि की दशा में अग्नि सुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में ऐसे अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-धारा (3) में, “धारा 18 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की वैधता तीन वर्ष होगी” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “धारा 18 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की वैधता पाँच वर्ष होगी” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;;

(ग) उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा।

14. उक्त अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1. “(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित सभी भवनों में प्रभावी अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से, ऐसे योग्यता तथा पात्रता मानदंड रखने वाले अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।”

(ख) उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4) अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी को किसी मान्यता प्राप्त अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

परंतु ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य समकक्ष संस्थान में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उसे पुनः ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।”।

15. उक्त अधिनियम की धारा 24 में, उप-धारा (2) के खंड (iii) में, “समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के प्रावधानों के अनुसार, उस भवन के लिए बताये गए” शब्दों और अंकों

के स्थान पर “इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे भवन के लिए विनिर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे।

16. उक्त अधिनियम की धारा 25 में, “पचास हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “दो लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे।

17. उक्त अधिनियम की धारा 26 में, उप-धारा (1) में, “दस रुपये” और “पचास रुपये” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “एक सौ रुपये” और “दो सौ रुपये” शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त अधिनियम की धारा 27 में, उप-धारा (3) में, “एक आदेश जारी कर सकता है” शब्दों के पश्चात आने वाले “इस उप-धारा के अंतर्गत पास किया गया आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा होगा और आदेश मिलने की तारीख से तीस दिनों के अंदर लागू किया जाएगा” शब्दों का लोप किया जाएगा।

19. उक्त अधिनियम की धारा 28 में, “दस हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे।

20. उक्त अधिनियम की धारा 29 में, “उसे तीन माह तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दण्ड हो सकती है” शब्दों के स्थान पर “वह ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी, जिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा और पुनरावृत्ति की दशा में, अधिरोपित शास्ति प्रथम उल्लंघन पर अधिरोपित शास्ति की दोगुनी होगी” शब्द रखे जाएंगे।

21. उक्त अधिनियम की धारा 30 में, “उसे तीन माह तक की कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा और यदि अपराध लगातार जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन तक अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना से दण्डित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “वह ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी, जिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा और पुनरावृत्ति की दशा में, अधिरोपित शास्ति प्रथम उल्लंघन पर अधिरोपित शास्ति की दोगुनी होगी” शब्द रखे जाएंगे।

22. उक्त अधिनियम की धारा 31 में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ वह प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों के संचालन का प्रभारी था तथा उसके लिए उत्तरदायी था, ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकती है, जिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति की दशा में, अधिरोपित शास्ति प्रथम उल्लंघन पर अधिरोपित शास्ति की दोगुनी होगी।”।

23. उक्त अधिनियम की धारा 32 में, उप-धारा (1) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा।

24. उक्त अधिनियम की धारा 36 में, उप-धारा (2) में, “आखिरी होगा” शब्दों के पश्चात् “और बाध्यकारी होगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. उक्त अधिनियम की धारा 37 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, “उद्योगों, ऊंची इमारतों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों से निजी उम्मीदवारों” शब्दों के स्थान पर “किसी भी अभ्यर्थी” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उप-धारा (2) और (3) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा;
- (ग) उप-धारा (4) में, “प्रशासन के लिए सरकार” शब्दों के स्थान पर “कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

26. उक्त अधिनियम की धारा 39 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, “उन भवनों पर अग्नि कर उदग्रहित किया जायेगा जिन पर कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्पत्ति कर लगाता है” शब्दों के स्थान पर “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार अग्नि कर या उपकर उदग्रहित किया जाएगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) उप-धारा (2) में, “अग्नि कर” शब्दों के स्थान पर “अग्निशमन कर या उपकर” शब्द रखे जाएंगे।

27. धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “40. अग्निशमन कर के आकलन, संग्रहण आदि की विधि।— अग्निशमन कर का आकलन तथा संग्रहण, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।”
28. उक्त अधिनियम की धारा 41 में,—
- (क) उप-धारा (1) में, “ऐसी सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, यथास्थिति,” शब्दों के स्थान पर “कोई भी इकाई, ऐसी इकाई” शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) उप-धारा (2) में, “उप निदेशक” शब्दों के स्थान पर “स्टेशन अग्नि अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।
29. उक्त अधिनियम की धारा 42 में, उप-धारा (2) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा।
30. उक्त अधिनियम की धारा 44 में, “निदेशक, सरकार से पूर्व मंजूरी से” शब्दों के स्थान पर “आयुक्त, स्थानीय प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से” शब्द रखे जाएंगे।
31. उक्त अधिनियम की धारा 45 में, “किसी अन्य राज्य कानून” शब्दों के स्थान पर “किसी अन्य विधि” शब्द रखे जाएंगे।
32. उक्त अधिनियम की धारा 49 में, “सरकार, ऐसे सदस्य को या मृतक के निकटतम संबंधी को, जैसा भी मामला हो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार पर्याप्त प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगी” शब्दों के स्थान पर “आयुक्त, ऐसे सदस्य को या मृतक के निकटतम संबंधी को, यथास्थिति, प्रशासक द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट पर्याप्त प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा” शब्द रखे जाएंगे।
33. उक्त अधिनियम की धारा 50 में, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (केंद्रीय अधिनियम 45 वर्ष 1960) की धारा 21” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों रखे जाएंगे।
34. उक्त अधिनियम की धारा 51 में, “सरकार” शब्द के स्थान पर “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा।
35. धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“52. नियम बनाने की शक्ति।—

- (1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।”।

36. उक्त अधिनियम की धारा 53 में, “निदेशक” शब्द के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा।
37. उक्त अधिनियम की धारा 54 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।
38. उक्त अधिनियम की धारा 55 में, “राज्य” शब्द का लोप किया जाएगा।
39. धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“55क. अग्निशमन निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों हेतु अभिकरणों का अनुज्ञापन और विनियमन।—

- (1) कोई भी व्यक्ति या संस्था, विनिर्दिष्ट प्रपत्र और विनिर्दिष्ट रीति में, तथा विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उपयुक्त समझे, या तो विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है या उसी अवधि के लिए उसका नवीनीकरण कर सकता है अथवा, लेखबद्ध कारणों के आधार पर, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इंकार कर सकता है।
- (3) जहाँ आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है अथवा अक्षमता, कदाचार या किसी अन्य गंभीर कारण से अयोग्य है, वहाँ आयुक्त, उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् तथा लेखबद्ध कारणों के आधार पर, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त कर सकता है।
- (4) अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण, किसी स्थान या भवन या उसके किसी भाग में, यथाविधि विनिर्दिष्ट, अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने अथवा अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा:

परंतु यदि मुख्य अग्निशमन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी कारणवश, जिसे वह लेखबद्ध करेगा, स्वामी या अधिभोगी किसी ऐसे स्थान या भवन या उसके किसी भाग में अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण के माध्यम से अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं है, तो वह ऐसे कार्य को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिकृत कर सकता है, और ऐसे अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण द्वारा किया गया माना जाएगा।

- (5) कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण या ऐसा होने का दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 19 की उप-धारा (6) के अधीन, ऐसे भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली की सुचारु कार्यशीलता के संबंध में, बिना वास्तविक अनुपालन या अनुरक्षण के, कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा।”।

40. उक्त अधिनियम की धारा 56 में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित दिल्ली अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 56) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।”।

[फा. सं. यू-11015/1/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

उपाबंध

## भाग-1

## हरियाणा सरकार

## विधि और विधायी विभाग

## अधिसूचना

8 अप्रैल, 2022

संख्या वि. 14/2022 .— हरियाणा राज्य की विधायिका का इस अधिनियम को 7 अप्रैल, 2022 को हरियाणा के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गयी है अतः इसे साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

हरियाणा अधिनियम संख्या 2022 का 14

## हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022

एक

## अधिनियम

*अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विधि के समेकन का उपबंध करने के लिए और हरियाणा राज्य की इमारतों में अग्निशमन से बचाव, अग्निशमन सुरक्षा के उपबंध व उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए नियम बनाने के लिए।*

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 है। | संक्षिप्त नाम |
| 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -                       | परिभाषाएं     |

क. "अपील प्राधिकारी" से हरियाणा सरकार के प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव; अभिप्रेत है

ख. "भवन" का वही अर्थ होगा जो हरियाणा म्यूनिसिपल अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का 24वां अधिनियम) या जहाँ यह अधिनियम लागू है किसी अन्य विधि में दिया गया है जिसमें यह अधिनियम लागू है।

इसमें ऐसे स्थान या परिसर जिनमें भूमि या भवन, या भूमि या भवन का कोई भाग, वह अन्यथा प्राधिकृत हो या नहीं, आउट-हाउस, अगर कोई हो, ऐसे भवन या उसके भाग से सम्बंधित और पेट्रोल, डीजल या गैस लाइन स्थापन या पम्प; सम्मिलित हैं

- ग. “उपविधि” का अर्थ है हरियाणा भवन कोड, 2017 में विहित अग्नि सुरक्षा नियम, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 में समय-समय पर संशोधित किए गए उपबंध जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मार्गदर्शन 1986, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (केंद्रीय अधिनियम, 1934 का 30) और उसके अधीन बनाए गए नियम और विस्फोटक अधिनियम, 1884 (केंद्रीय अधिनियम, 1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अधिकारिता भवनों में लागू किए जाने वाले अग्नि निवारक और जीवन सुरक्षा उपाय शामिल हैं;
- घ. “भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)” से भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय जिसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (सेंट्रल अधिनियम, 2016 का 11) के अधीन बनाया गया है; अभिप्रेत है;
- ङ. “अग्निशमन अधिकारी” में सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन स्टेशन अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन्हें यथास्थिति अग्निशमन स्टेशन और दूसरे समान परिसरों के लिए नियुक्त किया गया है;
- च. “निदेशक” से निदेशक, यथास्थिति, जिसे सरकार द्वारा धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है अभिप्रेत है;
- छ. “आपदा” से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (केंद्रीय अधिनियम, 2005 का 53) में यथा परिभाषित आपदा अभिप्रेत है;
- ज. “निर्माता” से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह निगमित या कोई और, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के इकट्ठा होने के लिए पंडाल या किसी ढांचे का निर्माण करता है अभिप्रेत है;
- झ. “अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं” से कोई भी गंभीर स्थिति या अचानक घटित कोई घटना अभिप्रेत है जिसके लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं की तुरंत कार्रवाई की मांग की जाती हो;
- ञ. “अग्निशमन स्टेशन” से वह भवन अभिप्रेत है जिसे अग्निशमन उपकरणों, कलपुर्जों व कर्मचारी को रखने के लिए बनाया जाता है तथा जिसे

सरकार ने इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन अग्नि स्टेशन और समान क्षेत्र घोषित किया है;

- ट. “अग्नि निवारण और जीवन रक्षा के उपायों” से ऐसे उपाय अभिप्रेत हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के नियमों के अनुसार जरूरी है तथा जिन्हें समय-समय पर आग को निवारण, नियंत्रित करने और शमन के लिए पुनरीक्षित किया गया ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके;
- ठ. “अग्नि सुरक्षा अधिकारी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 22 के अधीन कतिपय भवनों के मालिक या रहने वालों के द्वारा नियुक्त किया गया हो, जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है, ताकि ऐसे भवनों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए जा सकें;
- ड. “सरकार” से हरियाणा राज्य की सरकार का प्रशासनिक विभाग अभिप्रेत है;
- ढ. “स्थानीय प्राधिकरण” से नगर निगम, नगर परिषद, नगर कमेटी, गांव पंचायत व छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसका गठन अग्नि सुरक्षा सेवा देने और बनाए रखने के लिए किया गया हो;
- ण. अधिभोग” से मुख्य अधिभोग अभिप्रेत है जिसके लिए किसी भवन या भवन के किसी भाग का उपयोग किया जाता है या इसका उपयोग किए जाने का आशय है, जिसमें सहायक अधिभोग भी सम्मिलित हैं जो उस पर निर्भर हैं;
- त. “अधिवासी” का मतलब है-
- (i) कोई व्यक्ति जो, किराए पर ली गई या ली जाने वाली भूमि या भवन का किराया या इसका कुछ भाग मालिक को देने के लिए उत्तरदायी है;
  - (ii) कोई मालिक जो अपनी भूमि या भवन पर अधिभोग या अन्यथा इसे किसी तरह से उपयोग कर रहा है;
  - (iii) किसी भी भूमि या भवन में बिना किराए पर रहने वाला;
  - (iv) किसी भी भूमि या भवन पर कब्जा करने वाला अनुज्ञप्ति, और
  - (v) कोई व्यक्ति जो किसी भी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिए मालिक को नुकसानी के संदाय के लिए उत्तरदायी है;

- थ. “मालिक” में वह व्यक्ति सम्मलित है जो कुछ समय के लिए किसी भूमि या भवन का किराया ले रहा है या लेने का हकदार है, चाहे वह इसे अपने खाते में ले रहा हो या अभिकर्ता, न्यासी, गार्जियन या रिसीवर के रूप में या कोई अन्य व्यक्ति जो किराया लेता है या किराया लेने का हक रखता है, यदि उसकी भूमि या भवन या इनका कोई भाग किराएदार को किराए पर दिया गया है;
- द. “पंडाल” से छत या दीवारों वाले एक अस्थायी ढांचा अभिप्रेत है जिसे पुआल, सूखी घास, उलू घास, गोलपत्ता, होगला, दरमा, चटाई, कैनवस, कपड़ा या इसी तरह की किसी अन्य चीज़ से बनाया गया हो, जिनका इस्तेमाल पक्के या स्थाई निर्माण के लिए नहीं होता है;
- ध. “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- न. “राज्य” से हरियाणा राज्य अभिप्रेत है।

3. हरियाणा राज्य के लिए अग्निशमक और आपातकालीन सेवा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी, जिन्हें राज्य में कहीं भी तैनात किया जाएगा, से मिलकर बनेगी

अग्निशमन व  
आपातकालीन सेवाएं

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई अन्य सेवा या आपदा को अग्निशमक व आपातकालीन सेवा घोषित कर सकती है।

4. सरकार समूह ‘क’ सेवाओं के किसी भी उचित अधिकारी को हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का निदेशक नियुक्त कर सकेगी।

निदेशक की नियुक्ति

- 5.(1) निदेशक, सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन, अग्नि सुरक्षा और निवारण, अग्निशमन उपस्करों, मशीनों और कलपुर्जों; प्रशिक्षण, कर्तव्यों के वितरण विधि के अध्ययन और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में सम्मलित कर्मचारियों के बीच अनुशासन को बनाए रखने के सभी मामलों को निदेशित व नियमित करेगा।

निदेशक की शक्तियां,  
कर्तव्य व कार्य

- (2) निदेशक निम्नलिखित कार्य भी करेगा –
- (i) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के विकास के लिए सरकार के साथ संपर्क बनाए रखेगा;
  - (ii) सरकार से अनुमति लेने के पश्चात अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के विकास से संबंधित नीति बनाएगा और इसे लागू करने के लिए उपाय करेगा;
  - (iii) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए तथा अग्निशमन उपस्करों, सम्पत्तियों व कार्यदल के आवधिक पुनरीक्षण के लिए सरकार को योजना और प्रस्ताव भेजेगा;
  - (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन स्टेशनों और दूसरे समान परिसरों की प्रबंधन योजना, संबंधित राज्य की आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप तैयार की गई है;
  - (v) यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के अंदर और आस-पास के राज्यों में किसी भी स्थान पर आग लगने या किसी दूसरी आपातकालीन परिस्थिति के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, संसाधनों, उपस्करों और अग्निशमन कर्मचारियों को स्टैंडबाय ड्यूटी पर तैनात किया जाए;
  - (vi) बड़ी आग, घर गिरने और दूसरी आपातकालीन सेवाओं के मामले में प्रभावी उपाय करेगा या करवाएगा;
  - (vii) आग लगने के कारणों की जांच करना या जांच करवाना और आग से निवारण के उपायों को लागू करने सहित सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट भेजना;
  - (viii) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के किसी भी अग्नि अधिकारी की सहायता के लिए यथा आवश्यक संख्या में सदस्यों/ कर्मचारियों को तैनात करना;

- (ix) सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई नीति को लागू करना;
- (x) अग्निशमन व बचाव कार्यों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण स्टेशन स्थापित करना;
- (xi) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के मानकों को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करना;
- (xii) इस अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए ज़रूरी कोई भी दूसरा काम या कर्तव्य निभाना।

6. (1) राज्य के अंदर अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने अग्निशमन मंडल, अग्निशमन स्टेशन और दूसरे समान परिसर गठित करेगी, जितने वह जनसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा भवनों में आग लगने के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित समझे।

अग्निशमन मंडल,  
अग्निशमन स्टेशन व  
दूसरे समान परिसरों  
की स्थापना।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में प्रशासनिक और प्रचालनात्मक दक्षता के लिए अग्निशमन मंडलों, अग्निशमन स्टेशनों और दूसरे समान परिसरों की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी।

7. (1) सरकार या निदेशक प्रत्येक अग्निशमन स्टेशन के लिए एक अग्निशमन अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो अग्निशमन स्टेशन का प्रभारी होगा और वह अपने इलाके में संचार प्रणाली, हाइड्रेंट सहित पानी के संसाधनों, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के संचालन व रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

अग्निशमन अधिकारी  
की नियुक्ति, शक्तियां,  
कर्तव्य व कार्य

(2) निदेशक के नियंत्रण, निर्देश और अधीक्षण के अध्याधीन, अग्निशमन अधिकारी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तथा ऐसे काम करेगा, जैसा कि विहित हो।

(3) उप-धारा (2) के नियमों पर बिना किसी प्रभाव के, संबंधित अग्निशमन अधिकारी –

- (i) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की दशा में, कमांडिंग अधिकारी के रूप में काम करेगा और ऐसी स्थिति में, उसके अधिकार क्षेत्र में न आने वाली अन्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं उसके कमांड में काम करेंगी;
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन स्टेशन और दूसरे समान परिसरों का अग्निशमन और आपातकाल प्रबंधन योजना, संबंधित ज़िला आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप तैयार की जाए;
- (iii) यह सुनिश्चित करेगा कि आग और आपातकाल से संबंधित कॉल आने पर अग्निशमन यूनिट समय पर पहुँचें, जैसा कि मानक संचालन प्रक्रिया में विहित हो;
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी आग लगने या किसी अन्य आपातकाल के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, संसाधनों, उपस्करों और अग्निशमन कर्मचारियों को स्टैंडबाय ड्यूटी पर तैनात किया जाए।

8. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के नियुक्त या काम पर रखे गए सदस्यों की भर्ती की प्रणाली, उनके वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य सभी शर्तें वैसी ही होंगी, जैसी विहित की गई हो।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के सदस्यों की भर्ती प्रणाली।

9. जब भी सरकार को यह प्रतीत हो कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवा को बढ़ाना आवश्यक है, तो यह उस क्षेत्र के लिए एक सहायक अग्निशमन

सहायक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा।

और आपातकालीन सेवा दल बनाकर, उसमें स्वयं-सेवकों को ऐसी शर्तों पर भर्ती कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे।

10. किसी भी इलाके में आग लगने पर, मौके पर विद्यमान अधिकारी अग्निशमन ऑपरेशन का प्रभारी होगा, जो:-

प्रभारी की शक्तियां।

- (i) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के किसी अन्य सदस्य को ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकेगा जो अपनी मौजूदगी से आग बुझाने या जान या संपत्ति की रक्षा के कार्य में दखल देता है या रुकावट डालता है;
- (ii) किसी गली या रास्ते को बंद कर सकेगा जिसमें या उसके निकट आग बुझाई जा रही हो और बचाव ऑपरेशन चल रहा हो;
- (iii) आग बुझाने और बचाव ऑपरेशन करने के आशय से जितना हो सके कम नुकसान पहुंचाते हुए, होज़ या उपकरणों को ले जाने के लिए किसी भी जगह में प्रवेश कर सकेगा, उसमें से गुज़र सकेगा या उसे गिरा सकेगा, या उन्हें तुड़वा सकेगा या गिरवा सकेगा;
- (iv) इलाके में पानी की आपूर्ति के प्रभारी से पानी की मुख्य लाइनों को रेगुलेट करने के लिए कह सकेगा ताकि आग लगने की जगह पर एक तय प्रेशर पर पानी मिल सके। आग बुझाने या उसे नियंत्रित करने के आशय से किसी भी नाले, टंकी, कुएं या टैंक या पानी के किसी भी विद्यमान स्रोत, पब्लिक या प्राइवेट, का पानी इस्तेमाल कर सकेगा;
- (v) आग बुझाने के काम में रुकावट डालने वाले लोगों की भीड़ को हटाने के लिए वैसी ही शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा जैसे कि वह किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी हो/था और उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी जैसी ही छूट और सुरक्षा मिलेगी;
- (vi) ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो जानबूझकर आग बुझाने और बचाव के काम में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के लोगों की सहायता में रुकावट डालता है और उसे बिना देर किए किसी पुलिस अधिकारी या निकट के पुलिस स्टेशन को सौंप सकेगा।

इसके लिए, उसे हिरासत का समय, तारीख व कारणों को लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

11. यदि किसी अग्निशमन या किसी आपातकालीन ऑपरेशन के निदेशक या अग्निशमन अधिकारी या प्रभारी को किसी अन्य अधिकारण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपस्करों और कलपुर्जों या सम्पत्ति की आवश्यकता हो, तो वह किसी इलाके में आग बुझाने या किसी दूसरी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए ऐसे उपकरणों या सम्पत्ति की ज़रूरत बताकर उस प्राधिकरण या संस्था या व्यक्ति से, यथास्थिति, को आदेश देकर अपने अधिकार में ले सकेगा।

अग्निशमन सम्पत्ति की माँग अधिग्रहण।

12.(1) अग्निशमन ऑपरेशन के प्रभारी के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह अग्निशमन ऑपरेशन के दौरान इलाके के किसी भी स्रोत से पानी ले, जिसे वह आवश्यक समझे, यथा अपेक्षित और ऐसे मौकों पर, ऐसे पानी के स्रोत पर नियंत्रण रखने वाला स्वामी या अधिभोगी, पानी की आपूर्ति करेगा।

पानी की आपूर्ति और दूसरे ज़रूरी उपायों का इंतज़ाम करने की शक्ति।

(2) अग्निशमन ऑपरेशन का प्रभारी आग लगने की घटना में इस्तेमाल के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा तथा अग्निशमन ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

13. किसी भी इलाके में पानी की आपूर्ति के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन पानी की आपूर्ति में किसी रुकावट की वजह से हुए नुकसान के लिए किसी भी मुआवज़े का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

पानी की आपूर्ति में रुकावट के लिए मुआवज़ा।

14. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आग बुझाने के कामों या अग्निशमन ड्रिल में इस्तेमाल हुए पानी के लिए या आग बुझाने के प्रयोजन के लिए हाइड्रेंट, स्टैटिक वॉटर टैंक या पानी की आपूर्ति के किसी अन्य इंतज़ाम के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

पानी की खपत के लिए प्रभार।

15. सरकार, एक अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह या जगह के स्वामी या अधिभोगी के, जिसमें उसकी राय में आग लगने का खतरा हो सकता है, निवारण के उपाय करने के लिए कहेगी, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

निवारण के उपाय।

16.(1) पंडाल लगाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्नि निवारण और जीवन रक्षा के उपाय करने के लिए स्व-नियामक माना जाएगा।

पंडाल में अग्निशमन व जीवन सुरक्षा उपाय।

(2) पंडाल लगाने वाला व्यक्ति पंडाल में किसी विशेष जगह पर अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक विहित प्ररूप पर एक घोषणा प्रदर्शित करेगा कि उसने अग्नि निवारण और जीवन रक्षा के सभी विहित उपाय कर लिए हैं।

(3) इस सम्बन्ध में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह पंडाल में घुसकर उसकी जांच करे ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि उप-धारा (2) के अधीन की जाने वाली घोषणा सही है या नहीं और अगर कोई कमी है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को इस संबंध में बताए तथा उसे विनिर्दिष्ट समय के अंदर इसे ठीक करने का निदेश दे। अगर दिए गए समय के भीतर इन निदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पंडाल को सील कर देगा।

(4) कोई पंडाल लगाने वाला व्यक्ति जो यह असत्य घोषणा करता है कि उसने पंडाल में अग्नि निवारण और जीवन रक्षा के विहित तरीकों का पालन किया है, उसे अपराधी माना जाएगा तथा इसके लिए उसे तीन महीने तक की जेल या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर अपराध लगातार हो रहा है तो जब तक अपराध जारी रहता है, हर दिन के लिए उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

17.(1) जब भी निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के ध्यान में ऐसा आता है, कि किसी अधिक्रमण, वस्तु या सामान से आग लगने का खतरा है या इनसे अग्निशमन में कोई रुकावट पैदा हो सकती है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को उस अधिक्रमण, वस्तु या सामान को हटाने का निर्देश दे सकता है, और अगर वह स्वामी, अधिक्रमणकारी या निर्माता, यथास्थिति,

अधिक्रमण, ऐसी वस्तुओं या सामान को हटाना जिनसे आग लगने का खतरा हो या आग बुझाने में कोई रुकावट हो।

ऐसा नहीं करता है, तो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, उसे प्रतिवेदन का सही मौका दे सकता है तथा इसके पश्चात यदि निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है, तो वह ब्यौरा के साथ कारण बताते हुए मामले की रिपोर्ट संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे रीति से नोटिस भेजकर, जैसा वह ठीक समझे, उस स्वामी, अतिक्रमणकारी या निर्माता, यथास्थिति, अतिक्रमण या ऐसी चीजों या सामान को हटाने के विरुद्ध कारण बताने का एक सही मौका देगा, जिनसे आग लगने का खतरा हो सकता है या आग बुझाने में रुकावट आ सकती है।

(3) मालिक, अतिक्रमणकारी या निर्माता, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन प्रतिवेदन देने का एक सही मौका देने के पश्चात, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, नोटिस वापस ले सकता है या ऐसे अतिक्रमण, चीजों या सामान को ज़ब्त करने, हिरासत में लेने या हटाने का आदेश दे सकता है।

(4) उप-धारा (3) में दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया गया हो, वह तुरंत उन चीजों और सामानों की एक सूची बनाएगा जिन्हें वह ऐसे आदेश के अंतर्गत ज़ब्त करता है, और साथ ही, ज़ब्त करते समय सम्बन्धित व्यक्ति को एक लिखित नोटिस देगा कि सूची में लेखबद्ध वस्तुओं या सामानों को इस प्रकार विक्रय किया जाएगा यदि उनपर नोटिस में तय समय के भीतर दावा नहीं किया।

(5) यदि सम्बन्धित व्यक्ति, जिसके पास ज़ब्त की गई वस्तुएं या सामान था, उप-धारा (4) के अधीन जारी नोटिस में दिए गए समय के अंदर ज़ब्त सामान पर दावा नहीं करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हें सार्वजनिक नीलामी में विक्रय करेगा।

18.(1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के नियमों के अनुसरण में, समय-समय पर यथा पुनरीक्षित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 व किसी भी अन्य राज्य की विधि या उप-विधि से, जो सुसंगत क्षेत्रों

अग्निशमन स्कीम की मंजूरी के लिए स्वामी या अधिभोगी का उत्तरदायित्व।

पर लागू हों, के अनुसार, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी, जो व्याक्तिक या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, -

- (i) अग्नि शमन के इंतज़ाम और जीवन सुरक्षा के उपाय प्रदान करेगा;
- (ii) अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के उपायों को संचालन के लिए सदैव तैयार रखेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो भवन बनाने का इच्छुक है, जैसा कि नीचे दिए गए खण्डों (क) और (ख) में उल्लिखित है, तो वह संबंधित विधि के अधीन भवन निर्माण योजना को मंजूरी देने वाले अधिकारी से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात, इस अधिनियम और समय-समय पर संशोधित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के उपबंधों के अनुसार अग्निशमन स्कीम की मंजूरी के लिए निदेशक या इस काम के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्ररूप पर और ऐसे फीस के साथ, जैसा कि विहित किया गया हो, आवेदन करेगा, अर्थात:-

(अ) सभी ऊँची इमारतें (16.5 मीटर तक ऊँची रिहायशी इमारतों के सिवाय); और

(ब) खास इमारतें जिनमें सम्मिलित हैं-

- (i) होटल, शिक्षा संस्थान, व्यापारिक, बाजार, औद्योगिक, गोदाम, खतरनाक और मिश्रित अधिभोग, जहाँ इनमें से किसी भी इमारत का किसी एक या ज़्यादा मंज़िलों पर फ़्लोर एरिया पाँच सौ वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर) से अधिक हो;
- (ii) नौ मीटर (9 मीटर) और उससे अधिक ऊँचाई वाली शैक्षणिक संस्थान इमारतें;
- (iii) नौ मीटर (9 मीटर) और उससे अधिक ऊँचाई वाली संस्थागत इमारतें;
- (iv) सभी सभागार इमारतें;
- (v) इमारतें, जिनका क्षेत्र किसी भी मंज़िल पर तीन सौ वर्ग मीटर (300 वर्ग मीटर) से अधिक हो तथा जहाँ लोग अनुषंगिक रूप में इकट्ठा हो सकते हों; और

(vi) दो या उससे अधिक बेसमेंट वाली इमारतें, या पाँच सौ वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर) से अधिक क्षेत्र वाली एक बेसमेंट वाली इमारतें, जब तक कि नियमों में विशेष रूप से न बताया गया हो।

(3) निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी आवेदन पर ध्यान दे सकता है और हरियाणा भवन संहिता, 2017 और राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, की आवश्यकताओं के अनुसार, आवेदन की जांच करेगा। निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, जांच के पश्चात अग्निशमन स्कीम को मंजूरी दे सकता है, जो उप-धारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित किए गए भवनों के लिए पांच वर्ष के समय के लिए और उप-धारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित किए गए भवनों के लिए दो वर्ष के समय के लिए वैध होगी या वह विहित समय के भीतर कारणों सहित उस आवेदन को नकार सकता है:

परन्तु कि निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई दूसरा अधिकारी अग्निशमन स्कीम को मंजूरी देते समय, भूमि की स्थिति के आधार पर लोगों और भवन की सुरक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शर्तें/अग्नि सुरक्षा के नियम लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(4) अगर निर्माणाधीन भवन किसी पहुँच मार्ग या सड़क के साथ सटा हुआ है तथा ऐसे भवन के आस-पास खुला स्थान बनाया जाना है, तो हरियाणा भवन संहिता 2017 के अधीन अधिकथित मानदंड लागू होंगे।

(5) भंडार भवन की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई इक्कीस मीटर (21 मीटर) तक ही होगी, परन्तु शर्त यह है कि पंद्रह मीटर (15 मीटर) से अधिक ऊंचाई पर कोई भी नियमित/निरंतर इंसानी बस्ती आम लोगों की पहुँच में नहीं होगी। अगर किसी भवन या अधिभोग श्रेणी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4, जिसे समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया है, के उपबंधों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं बताए गए हैं, तथा भारतीय मानक ब्यूरो या ऑयल इंडिया सुरक्षा निदेशालय ने अलग से मार्ग दर्शक सिद्धांत जारी नहीं किए हैं, तो निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में

अधिकृत कोई भी अधिकारी, ऐसे अधिभोग या भवन या स्थान के स्वामी या निवासी से राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संगठन संस्थान (यू.एस.ए.) द्वारा अधिकथित मानदंडों के अनुसार अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय करने के लिए कह सकता है।

(6) भवन की अधिकतम यात्रा दूरी इतनी होगी, जिसे समय-समय पर पुनरीक्षित हरियाणा भवन संहिता, 2017 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(7) औद्योगिक भवन की अधिकतम ऊंचाई कम और मध्यम खतरे वाले भवनों (अधिक खतरे वाले भवनों के सिवाय) के लिए तीस मीटर (30 मीटर) तक होगी, परन्तु कि कम और मध्यम खतरे वाले भवनों के लिए अठारह मीटर (18 मीटर) से अधिक ऊंचाई पर कोई नियमित/निरंतर आधार पर इंसानों को रहने की अनुमति न हो। ऐसे भवन या जगह की श्रेणी के मामले में जिनके लिए अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के उपायों को समय-समय पर पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के नियमों में उल्लिखित नहीं किया है तथा भारतीय मानक ब्यूरो या ऑयल इंडिया सुरक्षा निदेशालय ने अलग मार्ग दर्शक सिद्धांत जारी नहीं किए हैं, ऐसे मामलों में, निदेशक या उनके द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किया गया कोई भी अधिकारी, ऐसी जगह या भवन या जगह के स्वामी या अधिभोगी से राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संगठन संस्थान (यू.एस.ए.) द्वारा तय मानदंडों के अनुसार अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के उपाय करने के लिए कह सकता है।

19.(1) धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन बताए गए भवन का निर्माण पूरा होने और अनुमोदित अग्निशमन स्कीम के अनुसार अग्नि सुरक्षा और निवारण के उपाय लगने पर, भवन का स्वामी निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए ऐसे प्ररूप पर और यथाविहित फीस के साथ आवेदन करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-  
पत्र जारी करना।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और अग्निशमन स्कीम के अनुपालन के सम्बन्ध में भवन का निरीक्षण करेगा।

(3) अनुमोदित अग्निशमन स्कीम के अनुसार अग्नि सुरक्षा स्थापना और बचने के तरीकों का निरीक्षण करने के पश्चात, संबंधित अधिकारी, निदेशक

या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यथा विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। जांच के पश्चात्, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यथा विहित समय के भीतर कारणों सहित अनुमोदन दे सकता है और अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा या उस आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा।

(4) धारा 18 के उप-धारा (2) की खंड (क) में बताए गए भवनों के लिए जारी किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए वैध होगा, साढ़े सोलह मीटर (16.5 मीटर) से अधिक ऊँचे आवासीय भवनों के लिए पाँच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और धारा 18 की उप-धारा (2) की खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट भवनों के लिए तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(5) किसी अन्य राज्य में लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए, ऐसे भवन का अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार वाला कोई भी प्राधिकारी तब तक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक इस धारा के उपबंधों का अनुसरण न किया जाए:

परन्तु अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी भूमि की स्थिति के आधार पर लोगों और भवन की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा और जीवन रक्षा उपायों के संबंध में कोई भी अतिरिक्त शर्त लगा सकता है, जैसा कि वह ठीक समझे।

(6) भवन का स्वामी या अधिभोगी हर वर्ष एक स्व-घोषित प्रमाण-पत्र देगा कि उसके भवन में लगी अग्निशमन प्रणाली सही हालत में काम कर रही है और भवन में कोई विस्तार /बदलाव नहीं हुआ है। अग्नि अधिकारी ऐसी भवन की औचक तरीके से जांच कर सकता है। अगर हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अंतर्गत अनुज्ञात सीमा से अधिक कोई विस्तार /बदलाव पाया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र खत्म हो जाएगा और स्वामी धारा 18 के उपबंध के अनुसार संशोधित अग्निशमन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

20.(1) भवन का स्वामी या अधिभोगी तय समय के अंदर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए ऐसे प्ररूप पर, यथा विहित फीस के साथ आवेदन करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-  
पत्र का नवीनीकरण।

(2) अग्निशमन अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और अग्नि सुरक्षा संस्थापन, बचने के तरीकों आदि का निरीक्षण करेगा। यदि भवन विहित नियमों को पूरा करता है, तो अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, यथा विहित समय के भीतर कारण बताने के पश्चात अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण जारी करेगा या उसे अस्वीकृत कर देगा:

परन्तु अग्नि अधिकारी या निदेशक द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, ज़मीनी स्थिति के आधार पर लोगों और भवन की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में कोई भी अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो उसे सही लगे।

(3) धारा 18 की उप-धारा (2) की खंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की वैधता तीन वर्ष होगी।

(4) भवन का स्वामी या उसका अधिभोगी प्रत्येक वर्ष एक स्व-घोषित प्रमाण-पत्र देगा कि उसके भवन में लगी अग्निशमन प्रणाली सही हालत में काम कर रही है और भवन में कोई विस्तार/बदलाव नहीं हुआ है। अग्नि अधिकारी ऐसे भवन की औचक तरीके से जाँच कर सकेगा। यदि हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अधीन अनुज्ञात लिमिट से अधिक कोई विस्तार/बदलाव होता है, तो उस अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण खत्म हो जाएगा और स्वामी धारा 18 के उपबंधों के अनुसार संशोधित अग्निशमन स्कीम की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

21.(1) अगर स्वामी या अधिभागी, यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निदेशों की पालना असफल रहता है, तो धारा 19 और 20 के अधीन जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र या अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण, स्वामी या अधिभोगी को सुनवाई का मौका देने के पश्चात जारी करने वाली प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-  
पत्र को रद्द करना।

(2) जिस भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है, उसका स्वामी या अधिभोगी, अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों का अनुपालन न करने के आधार पर भवन या स्थान पर अधिभोगी का हकदार नहीं होगा।

22.(1) समय-समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के उपबंधों के अनुसार, सभी भवनों में आग से बचाव और जीवन सुरक्षा के असरदार उपाय सुनिश्चित करने के लिए, हर स्वामी या अधिभोगी, यथास्थिति व्यक्तिक या संयुक्त रूप से, एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसके पास ऐसी अहर्ताएं हों, जिन्हें विहित किया गया हो।

स्वामी या अधिभोगी द्वारा अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और उसके कार्य।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अग्नि सुरक्षा अधिकारी की जगह खाली होने पर, चाहे इस्तीफे पर या किसी अन्य वजह से, मालिक या कब्जा करने वाला अकेले या मिलकर, जैसा भी मामला हो, तुरंत नया अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न होने की स्थिति में, अग्निशमन अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवश्यक उपाय कर सकता है।

(4) अग्नि सुरक्षा अधिकारी को सरकार द्वारा स्थापित अग्निशमन व आपातकालिन सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेना होगा:

परन्तु, यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समानांतर संस्थान से ऐसा प्रशिक्षण लिया हो तो उसे फिर से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

23.(1) निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, किसी स्थान या भवन या उसके भाग के स्वामी को या कोई अधिभोगी नहीं है, तो स्वामी को तीन घंटे का नोटिस देने के पश्चात्, सूरज उगने और सूरज डूबने के बीच किसी भी समय ऐसे स्थान या भवन या उसके भाग में प्रवेश कर

निरीक्षण की शक्ति।

उसका निरीक्षण कर सकेगा, जहाँ अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के उपायों के पर्याप्त होने या उल्लंघन का पता लगाने के लिए ऐसा निरीक्षण आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु कि निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, किसी भी समय किसी भी स्थान या भवन या उसके भाग में घुसकर उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि जान और माल की सुरक्षा पक्का करने के लिए ऐसा करना समीचीन और आवश्यक हो।

(2) अग्निशमन अधिकारी को उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण करने के लिए, ऐसे स्थान या भवन या उसके भाग के स्वामी या अधिभोगी, जैसा भी हो, द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) स्वामी या अधिभोगी या कोई अन्य व्यक्ति अग्निशमन अधिकारी के किसी स्थान या भवन या उसके भाग में आने-जाने में कोई रुकावट नहीं डालेगा या कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा और ऐसे निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी के साथ हाथापाई नहीं करेगा।

(4) किसी ऐसे स्थान या भवन या उसके भाग में, जिसका इस्तेमाल मानव आवास के लिए किया जाता है, में प्रवेश करते समय अग्निशमन अधिकारी रहने वालों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगा:

परन्तु यदि कोई स्थान, भवन या उसका भाग की ऐसी कोई महिला अधिभोगी है, जो रीति के अनुसार पर्दानशीन है, तो उस महिला को उस स्थान से हटने की स्वतंत्रता के साथ नोटिस देना अपेक्षित है और ऐसे प्रयोजन के लिए उसे प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा देना भी अपेक्षित होगा।

(5) इस धारा के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात, अग्निशमन अधिकारी ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को देगा।

(6) निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, रिपोर्ट मिलने के पश्चात, अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के उपायों से संबंधित आवश्यकताओं में चूक या उल्लंघन या भवन की ऊंचाई या ऐसे स्थान या भवन या उसके भाग में की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार के

संबंध में उपबंधित किये गए या उपबंधित किए जाने वाले ऐसे उपायों में कमी या उनका पालन न होने के सम्बन्ध में अपनी राय दर्ज करेगा तथा उस स्थान, भवन या उसके हिस्से के मालिक या रहने वाले को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे उपाय करने का निर्देश दिया जाएगा।

(7) निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जारी किए गए नोटिस का पालन न करने की स्थिति में, इस अधिनियम के उपबंध के अधीन जैसे वह उचित समझे उपाय करेगा।

24.(1) अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी भवन में प्रवेश कर उसका निरीक्षण कर सकेगा, जिसका निर्माण इस अधिनियम के लागू होने पर या उससे पहले पूरा हो गया था या कोई भी ऐसा भवन जो उस तारीख को बन रहा था जिसमें अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

कतिपय भवनों के संबंध में उपबंध।

(2) अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन भवन का निरीक्षण करने और निम्न बातों पर विचार करने के पश्चात—

- (i) वे उपबंध जिनके अधीन उस भवन की योजना मंजूर की गई थी;
- (ii) उस भवन की योजना को मंजूरी देते समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तें, अगर कोई हों; और
- (iii) समय-समय पर यथा पुनरीक्षित राष्ट्रीय भवन संहिता 1983 के भाग-4 के उपबंधों के अनुसार उस भवन के लिए विनिर्दिष्ट आग से अग्नि निवारण और आग से सुरक्षा के उपायों के लिए न्यूनतम मानक, अपने द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट, निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25. जो कोई भी धारा 12 की उप-धारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी भी अन्य

धारा 12 के उल्लंघन पर शास्ति।

कार्रवाई पर कोई असर डाले बिना, उसे तीन मास तक का कारावास या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दण्डनीय होगा।

26.(1) यदि किसी भवन का स्वामी या अधिभोगी, निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, जैसा भी हो, के द्वारा इस संबंध में दिए गए नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर धारा 22 के अधीन अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से व पृथक रूप से दोषी माना जाएगा और उन्हें निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथा अवधारित भवन के सामान्य क्षेत्र सहित, स्वामित्व या अधिभोग वाले क्षेत्र के लिए या उसके भाग के लिए प्रत्येक माह कम से कम दस रुपये प्रति वर्ग मीटर और अधिकतम पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक रकम देनी होगी।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न होने की दशा में शास्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के रूप में देय रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी।

27.(1) कोई व्यक्ति जिसके भवन में उसकी या उसके अभिकर्ता की किसी गलती के कारण, जानबूझकर या लापरवाही से आग लग जाती है, वह उस आग से नुकसान उठाने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का दायी होगा।

प्रतिकर का संदाय स्वामी का उत्तरदायित्व।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सभी दावे, नुकसान होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक को भेजे जाएँगे।

(3) निदेशक, संबंधित लोगों को सुनवाई का मौका देने के बाद, मुआवज़े की रकम तय कर सकता है और इस बारे में मुआवज़ा राशि का भुगतान करने वाले व्यक्तियों की देनदारी तय करते हुए, एक आदेश जारी कर सकता है। इस उप-धारा के अंतर्गत पास किया गया आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा होगा और आदेश मिलने की तारीख से तीस दिनों के अंदर लागू किया जाएगा।

28. कोई व्यक्ति जो जानबूझकर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी भी सदस्य, जो आग बुझाने के काम में लगा हो, के काम में रुकावट डालता है या दखल देता है तो वह तीन माह तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

जानबूझकर आग बुझाने, बचाव के काम में रुकावट डालने पर जुर्माना।

29. कोई व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगने की घटना की असत्य रिपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को देता है या दिलवाता है, जिसे ब्यान, संदेश या किसी और तरीके से ऐसी रिपोर्ट लेने का अधिकार है, उसे तीन माह तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दण्ड हो सकती है।

असत्य रिपोर्ट।

30. जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित के सिवाय, तो उस पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई किसी भी अन्य कार्रवाई पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, उसे तीन माह तक की कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा और यदि अपराध लगातार जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन तक अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।

दण्ड के सामान्य उपबंध।

31.(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों के संचालन का प्रभारी और उत्तरदायी था, उसे तीन माह तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दण्डित किया जायेगा:

कंपनियों द्वारा अपराध।

परन्तु कि इस उप-धारा में दी गई कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी सज़ा का पात्र नहीं बनाएगी अगर वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पूरी तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी भी बात के होते हुए, जहाँ पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी ने किया हो और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी

उपेक्षा के कारण से हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उप-धारा (1) के अधीन दण्ड का पात्र होगा।

**स्पष्टीकरण:-**

- (i) 'कंपनी' से एक निकाय कॉर्पोरेट अभिप्रेत है, तथा इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगठन सम्मिलित है; और
- (ii) 'निदेशक' से निदेशक या फर्म के पार्टनर अभिप्रेत है।

32.(1) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध, अभियोजन शुरू होने से पहले या पश्चात में, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी राशि पर समाप्त किया जा सकेगा, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करेगी:

अपराधों का शमन।

परन्तु किसी भी अपराध का तब तक शमन नहीं किया जाएगा जब तक इस अधिनियम के अधीन जारी नोटिस या आदेश का पालन नहीं किया जाता।

(2) जहाँ पर किसी अपराध का उप-धारा (1) के अधीन शमन किया गया है, तो ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।

33. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार, सद्भावना से किए गए या करने का आशय से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में सुरक्षा।

34. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक अग्रिशमन व आपातकालीन सेवाओं के निदेशक या संबंधित अग्रिशमन अधिकारी की शिकायत या उनसे मिली जानकारी प्राप्त न हो।

अभियोजन का संज्ञान।

35. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई उप-मंडल दंडाधिकारी का न्यायालय करेगा।

अधिकार क्षेत्र।

36.(1) निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के किसी नोटिस या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष साठ दिनों के भीतर कर सकेगा:

अपील।

परन्तु कि अपीलीय प्राधिकरण उस समय के खत्म होने के पश्चात भी अपील सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस समय के भीतर अपील फाइल न कर पाने का पर्याप्त कारण था।

(2) अपील में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश आखिरी होगा।

37.(1) सरकार, हरियाणा राज्य में अग्निशमन सेवा कर्मिकों तथा उद्योगों, ऊंची इमारतों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों से निजी उम्मीदवारों को अग्नि निवारण और अग्नि शमन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक या अधिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगी।

अग्निशमन और  
आपातकालीन  
प्रशिक्षण संस्थान का  
स्थापन।

(2) सरकार स्थानीय निकायों और औद्योगिक कंपनियों के साथ-साथ अन्य राज्यों की अग्निशमन और आपातकालीन सेवा को भी, यथा विहित शुल्क और फीस लेकर प्रशिक्षण की सुविधाएं दे सकेगी।

(3) सरकार अग्नि निवारण और उसे बुझाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी प्रणाली विहित करेगी, जैसा वह उचित समझे।

(4) प्रशिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों का पालन करते हुए, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए सरकार के खर्च पर भारत के भीतर या बाहर किसी भी संस्थान में आग से सुरक्षा और आग से बचाव के उपायों और संबंधित मामलों की वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा।

38. अग्निशमन अधिकारी, अग्नि और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामुदायिक  
जागरूकता और  
प्रशिक्षण कार्यक्रम।

संचालित करेगा। अग्निशमन अधिकारी आग से बचाव से संबंधित मामलों में समुदाय को सहायता और सलाह दे सकेगा।

39.(1) उन भवनों पर अग्नि कर उदग्रहित किया जायेगा जिन पर कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्पत्ति कर लगाता है।

अग्नि कर उदग्रहण।

(2) सम्पत्ति कर की प्रतिशतता के आधार पर अग्नि कर की दर तय की जाएगी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, समय-समय पर अवधारित करेगी।

40.(1) संपत्ति कर की निर्धारण, वसूलने और इसके भुगतान को लागू करवाने वाला प्राधिकरण, विधि के अधीन इलाके के स्थानीय प्राधिकरण को सरकार की ओर से सम्पत्ति कर की तरह ऐसे कर निर्धारण, वसूलने और इसके भुगतान को ठीक उसी प्रकार लागू करवाने के लिए प्राधिकृत करेगी, जैसे संपत्ति कर का निर्धारण, वसूली और इसका भुगतान किया जाता है।

अग्नि कर की निर्धारण, संग्रहण इत्यादि का तरीका।

(2) अग्नि कर की कुल रकम का एक हिस्सा, जिसे सरकार अवधारित करेगी, स्थानीय प्राधिकरण अग्नि कर संग्रहणित करने के खर्च को पूरा करने के लिए कटौती करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संग्रहणित किए गए अग्नि कर की कुल राशि में से अग्नि कर इकट्ठा करने का खर्च घटाकर, सरकार को ऐसे रीति से और ऐसे अंतराल पर भुगतान किया जाएगा, जैसा विहित किया गया हो।

41.(1) जहां अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के सदस्य किसी सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के कहने पर पड़ोस में अग्नि शमन के लिए उपस्करों और कलपुर्जों के साथ राज्य की सीमा से बाहर तैनात किए जाते हैं, तो ऐसी सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, यथास्थिति, विहित प्रभार संदाय करने के लिए दायी होगी।

राज्य की सीमा के बाहर अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती पर प्रभार।

(2) अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी भी सदस्य को उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए, निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध

में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो उप-निदेशक (तकनीक) के पद से निम्न नहीं होगा, की पूर्व अनुमति के बिना तैनात नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट फीस, निदेशक या निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी मांग नोटिस के एक माह के भीतर देना होगा, और अगर उस समय के भीतर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा।

42.(1) राज्य के भीतर अग्नि शमन और बचाव कार्य के लिए कोई प्रभार नहीं होगा।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, निजी प्रयोजनों के लिए और एक खास समय के लिए स्टैंडबाय ड्यूटी के लिए अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों को उपस्करों और कलपुर्जों के साथ तैनात करने का प्रभार विनिर्दिष्ट करेगी।

राज्य के भीतर स्टैंडबाय ड्यूटी के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती पर प्रभार।

43. इस अधिनियम के अंतर्गत देय कोई भी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

देय की वसूली।

44. निदेशक, सरकार से पूर्व मंजूरी से, किसी भी अग्निशमन और आपातकालीन सेवा या उस प्राधिकरण के साथ, जो उक्त अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का रख-रखाव, किसी भी ऐसे इलाके की सीमा के बाहर करती है, जहाँ यह अधिनियम लागू होता है के साथ अग्निशमन के प्रयोजनों के लिए व लोक हित में आपसी समझ के आधार पर एक मसौदे के अधीन या उसमें यथा उपबंधित शर्तों पर, कर्मचारी या उपस्कर या दोनों देने के लिए समझौता कर सकता है।

अन्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के साथ आपसी अग्निशमन व्यवस्था।

45. इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य कानून के उपबंधों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के किसी भी वर्ग या श्रेणी को तकनीकी सेवा घोषित कर सकेगी।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा को तकनीकी सेवा घोषित करना।

46. निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी भी भवन के स्वामी या अधिभोगी से उस भवन की प्रकृति, उपलब्ध पानी की आपूर्ति और वहां तक पहुंचने के साधनों और किसी भी विशिष्टियों के संबंध में जानकारी देने की मांग कर सकेगा, और ऐसा स्वामी या अधिभोगी अपने पास मौजूद सभी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होगा।

जानकारी प्राप्त करने की सामान्य शक्ति।

47.(1) जहां धारा 23 और 24 के अधीन अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वतः, निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भवन या परिसर की हालत, जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक आदेश द्वारा, उस भवन के अधिभोग या अधिभोगी को उस भवन से तुरंत हटाने के लिए कहेगा।

भवन या परिसर को सील करने की शक्ति।

(2) अगर निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्न निर्देश दे सकेगा -

- (i) संबंधित प्राधिकारी को भवन की बिजली की आपूर्ति काटने का निदेश दे सकेगा और ऐसा प्राधिकारी उन निदेशों का पालन करेगा;
- (ii) संबंधित प्राधिकारी को भवन या स्थान का पानी और सीवर काटने का निदेश दे सकेगा और ऐसा प्राधिकारी उन निदेशों का पालन करेगा;
- (iii) उस इलाके में अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को भवन से ऐसे लोगों को हटाने का निदेश दे सकेगा और ऐसा अधिकारी उन निदेशों का पालन करेगा।

(3) उप-धारा (2) की खण्ड (iii) के अधीन लोगों को हटाने के पश्चात्, निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भवन को सील कर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के बिना नहीं हटाएगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के बिना ऐसी सील हटाता है तो वह तीन माह तक का कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

48. अग्नि शमन के कार्य या किसी भी सामान को अभिग्रहण करने, निरोध या हटाने से संबंधित किन्हीं अन्य कर्तव्यों के निष्पादन, जिसमें आग लगने का खतरा हो, अग्निशमन ऑपरेशन के प्रभारी के अनुरोध पर, पुलिस ऑफिसर या पुलिस फोर्स के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने में अग्निशमन ऑपरेशन के प्रभारी की सहायता करें।

पुलिस अधिकारी और सहायता करने वाले अन्य व्यक्ति।

49. अगर अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं का कोई सदस्य अग्निशमन और बचाव कार्य की सेवा करते समय सदैव के लिए विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ऐसे सदस्य या मृतक के करीबी रिश्तेदार को, यथास्थिति, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, उचित प्रतिकर संपन्न करेगी।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सदस्य को प्रतिकर।

50. अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं के प्रत्येक सदस्य को भारतीय दंड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम 45, वर्ष 860) की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा।

अधिकारी लोक सेवक होंगे।

51.(1) अग्निशमन व आपातकालीन सेवाओं का कोई भी सदस्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना:

सहयोजन बनाने या सहयोजन का भाग बनने आदि पर रोक।

(i) किसी भी यूनियन, लेबर यूनियन और राजनैतिक संगठन का सदस्य नहीं बनेगा, तथा किसी भी तरह से उनसे नहीं जुड़ेगा;

(ii) प्रैस से बातचीत नहीं करेगा, और न ही कोई किताब, लेटर या दूसरा दस्तावेज़ प्रकाशित करेगा या करवाएगा, केवल इस बात के सिवाय कि ऐसी बातचीत या प्रकाशन उसके काम के सही तरीके से करने के लिए हो या पूरी तरह से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो।

52.(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनने के ठीक पश्चात, राज्य विधायिका के सदन के सामने, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

53. निदेशक, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त की गई कोई भी शक्ति या उस पर अधिरोपित कोई भी कर्तव्य, ऐसी परिस्थितियों और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विनिर्दिष्ट है, उस अधिकारी द्वारा प्रयोग और पूरा किया जाएगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

54.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंध को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो:

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के समाप्त होने के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, जारी होने के ठीक पश्चात, राज्य विधायिका के सदन के सामने पटल पर रखा जाएगा।

55. राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई असंगत बात होने पर, इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

56.(1) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 12वाँ) को निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यवृत्तियाँ

(2) इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगी-

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले अर्जित, प्रादभत या अपगत किया गया कोई अधिकार, हित या देनदारी; या

- (ii) ऐसे अधिकार, हित या देनदारी के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या उपाय; या
- (iii) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई या वहन की गई कोई बात; या
- (i) निरसन किए गए अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम जो इस अधिनियम के असंगत नहीं है।

बिमलेश तंवर,  
प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि व विधायी विभाग।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

**New Delhi, the 6th May, 2026**

**S.O. 2264(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022 (Haryana Act No. 14 of 2022), as in force in the State of Haryana from the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

**MODIFICATIONS**

In the Haryana Fire and Emergency Service Act, 2022, so extended to the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the said Act),—

1. for section 1 of the said Act, the following section shall be substituted, namely:-

**“1. Short title and commencement.—** (1) This Act may be called the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022 (as extended to the Union territory of Chandigarh).

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.”.

2. Throughout the said Act, save as otherwise expressly provided hereinafter:-

- (a) for the word “Government” wherever it occurs, the word “Administrator”, shall be substituted;
- (b) for the word “State” wherever it occurs, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted;
- (c) for the words “the State of Haryana” wherever they occur, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted;
- (d) for the word “Director” wherever it occurs, the words “Chief Fire Officer” except as mentioned in section 31 shall be substituted;
- (e) for the words “District Magistrate” wherever they occur, the word “Commissioner” shall be substituted.

3. In section 2,—

- (a) in clause (a), for the words “Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana in the Administrative Department”, the words “the Secretary, Local Government, Chandigarh Administration or any other officer as may be authorised by him” shall be substituted;
- (b) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(aa) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

(ab) “Administration” means Chandigarh Administration of the Union territory of Chandigarh.’;

- (c) in clause (b), for the words “the Haryana Municipal Act, 1973” (24 of 1973), the words “the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994” shall be substituted;

- (d) clause (c) shall be omitted;
- (e) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(da) “Commissioner” means the Commissioner of the Municipal Corporation, Chandigarh as appointed under the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994’;
- (f) in clause (e), for the words “Assistant Divisional Fire Officer and Fire Station Officer”, the words “Station Fire Officers and Sub-Fire Officers” shall be substituted;
- (g) in clause (f), after the words “under section 4”, the words “of this Act” shall be inserted;
- (h) in clause (i), for the words “Government or local authority”, the words “Local Authority” shall be substituted;
- (i) in clause (k), for the words “in accordance with the provisions of Part-IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time”, the words “as may be prescribed under this Act” shall be substituted;
- (j) clause (m) shall be omitted;
- (k) in clause (n), for the words “Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee, Gram Panchayat, Cantonment Board or any other authority established, constituted or incorporated for providing and maintaining fire services”, the words “Municipal Corporation, Chandigarh” shall be substituted;
- (l) for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:—
- ‘(t) “Licensed Agency” means a person or an entity to whom the license is granted under section 55A of the Act’;
- (m) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:—
- ‘(ta) “U.T. Chandigarh” means the Union Territory of Chandigarh.’.
4. In section 4, for the words “the Government may appoint any suitable officer of Group A services as Director”, the words “the administrator may appoint any suitable officer as a Chief Fire Officer” shall be substituted.
5. In section 5,—
- (a) in sub-section (1), for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), in clauses (i), (ii), (iii) and (vii), for the word “Government”, the words “Administration through Commissioner” shall be substituted;
- (c) in sub-section (2), in clause (ix), for the word “Government”, the words “Chandigarh Administration, Chandigarh or Municipal Corporation, Chandigarh” shall be substituted;
- (d) in sub-section (2), in clause (xi), for the word “represent”, the words “on behalf of Commissioner” shall be substituted.
6. In section 7,—
- (a) in sub-section (1), for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted;
- (b) in sub-section 3, in clause (ii), for the word “District”, the words “Union territory, Chandigarh” shall be substituted.
7. In section 8, for the words “such, as may be prescribed”, the words “regulated as per the rules or regulations framed under Municipal Corporation Act as extended to Union territory of Chandigarh” shall be substituted.

8. In section 10, in clause (v), after the words “a Police Station”, the words “for this purpose” shall be inserted.
9. In section 15,—
  - (a) for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted;
  - (b) for the word “Notification”, the words “general or special order” shall be substituted.
10. In section 16, in sub-section (4), for the words “ten thousand rupees”, the words “one lakh rupees” shall be substituted.
11. For section 18, the following section shall be substituted, namely:—

**“18. Liability of owner or occupier for approval of firefighting scheme.** (1) Without prejudice to the provisions of any law for the time being in force relating to fire prevention and life safety measure, the owner, or where the owner is not traceable, the occupier of any building or part thereof, falling in the following categories, either individually or jointly, shall apply and obtain the necessary approval of firefighting scheme from the Chief Fire Officer or any other fire officer as authorised by him to ensure the installation of appropriate fire prevention and life safety measures as may be prescribed, namely:—

- (a) all high-rise buildings (except residential buildings up to a height of 16.5 meters); and
  - (b) special buildings including—
    - (i) hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies, where any of these buildings have floor area more than five hundred square meter (five hundred square meters) on any one or more floors;
    - (ii) educational buildings having height of nine meters and above;
    - (iii) institutional buildings having height of nine meters and above;
    - (iv) all assembly buildings;
    - (v) buildings, having area more than three hundred square meters of incidental assembly occupancy on any floor; and
    - (vi) buildings with two basements or more, or with one basement of area more than five hundred square meters unless otherwise mentioned specifically in the provisions.
    - (vii) any other building as may be prescribed.
- (2) The Chief Fire Officer or any fire officer authorised by the Chief Fire Officer in this behalf may take cognizance of any application and shall scrutinise the application with regard to the requirement as may be prescribed.
- (3) The Chief Fire Officer or any fire officer authorised by him in this behalf, after scrutiny may grant the approval of firefighting scheme for the buildings mentioned in sub-section (1) or reject the said application after recording reasons in writing within such time, as may be prescribed:

Provided that the Chief Fire Officer or any fire officer authorised by him in this behalf while approving the firefighting scheme may impose any additional conditions or fire safety measures, which he deems fit, for the safety of people and safety of the building depending upon risk involved.

- (4) The height of a building shall not, by itself, constitute a limiting factor for approval under this Act:

Provided that adequate fire prevention and life safety measures, evacuation strategies, fire-fighting access and modern fire protection systems commensurate with the occupancy risk and fire load are ensured in accordance with the standards as may be prescribed.”

12. In Section 19,—

- (a) in sub-section (1), for the words, brackets and figure “under sub-section (2)”, the words, brackets and figure “in sub-section (1)” shall be substituted;
- (b) in sub-section (4), for the words, brackets, letters and figures “specified in clause (a) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years, for residential buildings above sixteen and half meters (16.5 meters) shall be valid for five years and for special buildings as specified in clause (b) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years”, the words, brackets and figures “mentioned in sub-section (1) of section 18, shall be valid for five years” shall be substituted;
- (c) sub-section (5) shall be omitted;
- (d) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(6) The owner or occupier, as the case may be, shall furnish to the Fire Officer, a certificate in the prescribed form issued by a licensed agency regarding the compliance of the fire prevention and life safety measures in his building or part thereof, as required by or under the provision of this Act, and shall also furnish to the Fire Officer a certificate, in the prescribed form issued by a licensed agency once in a year in the month of July, to the extent that the firefighting system installed in such building is working in good condition and there is no addition or alteration in the building. The Fire Officer may randomly check such buildings. In case there is any addition or alteration beyond permissible limits under the fire safety measures, as may be prescribed, the fire safety certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per the provisions of section 18.”.

13. In section 20,—

- (a) in sub-section (2), for the words “Fire Officer or any officer authorised by the Director competent to approve the renewal of fire safety certificate may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures which he may deem fit, for the safety of people and building depending upon the ground situation”, the words “the Chief Fire Officer or any other fire officer authorised by him in this behalf may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures in case of any alternation or addition carried out by the owner or occupier” shall be substituted;
- (b) in sub-section (3), for the words, brackets, letters and figure “three years for buildings as mentioned under clauses (a) and (b) of sub-section (2)”, the words, brackets, letters and figure “five years for buildings as mentioned under clauses (a) and (b) of sub-section (1)” shall be substituted;
- (c) sub-section (4) shall be omitted.

14. In section 22,—

for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

(a) “(1) To ensure effective fire prevention and life safety measures in all buildings as required under this Act and the rules made thereunder, every owner or occupier, individually or jointly, as the case may be, shall appoint a Fire Safety Officer, having such qualifications and eligibility criteria, as may be prescribed.”

(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(4) The Fire Safety Officer shall have to undergo training at any recognised Fire and Emergency Service Training Institute:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service College, Nagpur run by the Ministry of Home Affairs or at any other equivalent institution, shall not be required to take such training.”.

15. In section 24, in sub-section (2), in clause (iii), for the words and figure “specified for such building as per provisions of Part-IV of the National Building Code, 1983 as revised from time to time”, the words “specified for such building under this Act and the rules made thereunder” shall be substituted.
16. In section 25, for the words “fifty thousand rupees”, the words “two lakh rupees” shall be substituted.
17. In section 26, in sub-section (1), for the words “ten rupees” and “fifty rupees”, the words “one hundred rupees” and “two hundred rupees” shall respectively be substituted.
18. In section 27, in sub-section (3), after the word “compensation”, the words “the order passed under this sub-section shall have the force of decree of a civil court and shall be implemented within thirty days from the date of receipt of the order” shall be omitted.
19. In section 28, for the words “ten thousand rupees”, the words “one lakh rupees” shall be substituted.
20. In section 29, for the words “shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both”, the words “shall be liable to pay penalty which may extend to one lakh rupees to be imposed by the Chief Fire Officer or any officer authorised by him in this behalf. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation.” shall be substituted.
21. In section 30, for the words “be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues”, the words “be liable to pay penalty which may extend to one lakh rupees to be imposed by the Chief Fire Officer or any officer authorised by him in this behalf and in case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation” shall be substituted.
22. In section 31, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Where an offence under this Act has been committed by a Company, every person who, at the time the offence was committed, was in-charge of, and was responsible for the conduct of the affairs of the Company shall be liable to pay penalty which may extend to one lakh rupees, to be imposed by the Chief Fire Officer or any officer authorised by him in this behalf. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation.”.
23. In section 32, in sub-section (1), for the word “Government”, the word “Administrator” shall be substituted.
24. In section 36, in sub-section (2), after the words “shall be final”, the words “and binding” shall be inserted.

25. In section 37,—
- in sub-section (1), for the words “private candidates from industries, high rise buildings and other Government and Non-Government establishments”, the words “any candidate.” shall be substituted;
  - in sub-sections (2) and (3), for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted;
  - in sub-section (4), for the words “Government for the administration”, the words “Local Authority for execution” shall be substituted;
26. In section 39,—
- in sub-section (1), for the words “A fire tax shall be levied on buildings on which property tax is levied by any local authority”, the words and figures “A fire tax or cess shall be levied in accordance with the provisions of the Punjab Municipal Corporation Act 1994 as extended to Union Territory of Chandigarh” shall be substituted;
  - in sub-section (2), for the words “Fire Tax”, the words “Fire Tax or Cess” shall be substituted.
27. For section 40, the following section shall be substituted, namely:—
- “40. Mode of assessment, collection, etc. of fire tax.—** The mode of assessment, collection of fire tax shall be as per the provisions of the Punjab Municipal Corporation Act 1994 (as extended to Union Territory of Chandigarh).”
28. In section 41,—
- in sub-section (1), for the words “Government or local body or Fire and Emergency Services, such Government or local body or Fire and Emergency Services, as the case may be”, the words “any entity, such entity” shall be substituted;
  - in sub-section (2), for the words “Deputy Director”, the words “Station Fire Officer” shall be substituted.
29. In section 42, in sub-section (2), for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted.
30. In section 44, for the words “Director may, with the previous sanction of the Government”, the words “Commissioner may, with the previous sanction of the local authority” shall be substituted.
31. In section 45, for the words “any other state law”, the words “any other law” shall be substituted.
32. In section 49, for the words “the Government shall pay adequate compensation to such member or to the next of kin of deceased, as the case may be as specified by the Government, by notification in the Official Gazette”, the words “the Commissioner shall pay adequate compensation to such member or to the next of kin of the deceased, as specified by the general or special orders issued by the Administrator, as the case may be” shall be substituted.
33. In section 50, for the words, brackets and figures “section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860)”, the words, brackets and figures “clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, (Central Act 45 of 2023).” shall be substituted.
34. In section 51, for the word “Government”, the word “Commissioner” shall be substituted.

35. For section 52, the following section shall be substituted, namely:-

“52. Power to make rules.— (1) The Administrator may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before **each House of Parliament**, while it is in session.”.

36. In section 53, for the word “Director”, the word “Administrator” shall be substituted.

37. In section 54, sub-section (2) shall be omitted.

38. In section 55, the word “State” shall be omitted.

39. After section 55, the following section shall be inserted, namely:—

**“55A. Licensing and regulation of agencies for fire prevention and life safety measures.** (1) Any person or entity may apply for license or renewal of such license in the prescribed form and in the prescribed manner along with such fee, as may be prescribed.

(2) Upon receipt of an application under Sub-section (1), the Commissioner may, after holding such inquiry as he deems fit, either grant the license in the prescribed form for a period of two years or renew the same for a like period or, for reasons to be recorded in writing, by order refuse to grant or renew such license.

(3) Where the Commissioner has reason to believe that any person to whom the license is granted, has contravened any provisions of this Act or of the rules or has failed to comply with the conditions of the license or is unfit by reason of incompetency, misconduct or any other grave reasons, the commissioner may, after giving a reasonable opportunity of hearing and for the reasons to be recorded in writing, by order suspend or cancel the license.

(4) Licensed agency shall carry out the work of providing fire prevention and life safety measures or performing such other related activities required to be carried out in any place or building or part thereof as may be prescribed:

Provided that, if the Chief Fire Officer is satisfied that, for any reason, to be recorded in writing, the owner or occupier is not able to carry out the fire prevention and fire safety measures in any such place or building or part thereof through a Licensed Agency, he may authorise any person or persons as he thinks fit to carry out such work, and any work carried out by such authorised person or persons shall be deemed to be carried out by the Licensed Agency.

(5) No Licensed Agency or any other person claiming to be such Licensed Agency shall furnish a certificate under sub-section (6) of section 19 the Act regarding good working condition of the firefighting system installed in such building, without there being actual such compliance or maintenance.

40. In section 56, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986 (56 of 1986) as extended to the Union Territory of Chandigarh is hereby repealed.”.

[F. No. U-11015/1/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

## Appendix

## PART - I

## HARYANA GOVERNMENT

## LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

The 8th April, 2022

**No. Leg. 14/2022.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 7th April, 2022 and is hereby published**

**for general information:-**

## HARYANA ACT NO. 14 OF 2022

## THE HARYANA FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT, 2022

AN

ACT

to consolidate the law relating to Fire and Emergency Services and to make provisions for prevention of fire and providing of fire safety measures in the buildings in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

- Short title.** 1. This Act may be called the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022.
- Definitions.** 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) “appellate authority” means the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana in the administrative department;
- (b) “building” shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or any law for the time being in force in the area in which this Act is in force and includes places or premises comprising land or building, or part of a land or building, whether authorized or otherwise, outhouses, if any, pertaining to such building or part thereof and petrol, diesel or gas line installations or pumps;
- (c) “bye-laws” means fire safety regulations as prescribed in Haryana Building Code, 2017, provisions of Part-IV of National Building Code of India 1983 as revised from time to time containing fire prevention and life safety measures to be implemented in the buildings as laid down by the Bureau of Indian Standards, Oil Industry Safety Directorate Guidelines, 1986, the Petroleum Act, 1934 (Central

Act 30 of 1934) and rules made thereunder and the Explosives Act, 1884 (Central Act 4 of 1884) and rules made thereunder;

**(d)** “Bureau of Indian Standard (BIS)” means National Standard Body of India established under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Central Act 11 of 2016);

**(e)** “Fire Officer” includes Assistant Divisional Fire Officer and Fire Station Officer appointed for fire stations and other field formations, as the case may be;

**(f)** “Director” means the Director, as the case may be, appointed by the Government under section 4;

**(g)** “disaster” means disaster as defined in the Disaster Management Act, 2005 (Central Act 53 of 2005);

**(h)** “erector” means a person or association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for assembly of people on a regular or temporary basis;

**(i)** “Fire and Emergency Services” means any serious situation or occurrence that happens unexpectedly and demands immediate action of Fire and Emergency Services of the Government or local authority;

**(j)** “fire station” means a building erected to house the fire fighting equipment, appliances and staff and declared by the Government to be a fire station and other field formations as constituted under section 6 of this Act;

**(k)** “fire prevention and life safety measures” means such measures as are necessary in accordance with the provisions of Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time for containment, control and extinguishment of fire and for ensuring the safety of life and property;

**(l)** “Fire Safety Officer” means a person appointed under section 22 by the owner or occupier of certain buildings as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such buildings;

**(m)** “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

**(n)** “local authority” means the Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee, Gram Panchayat, Cantonment Board or any other authority established, constituted or incorporated for providing and maintaining fire services;

**(o)** “occupancy” means the principal occupancy for which a building or a part of the building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which are contingent upon it;

**(p)** “occupier” means—

- (i)** any person who, for the time being, is paying or is liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
- (ii)** an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;
- (iii)** a rent-free occupant of any land or building;
- (iv)** a licensee in occupation of any land or building; and
- (v)** any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

**(q)** “owner” includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any land or building, whether on his own account or as an agent,

trustee, guardian or receiver or any other person who shall receive the rent or is entitled to receive the rent if the land or building or part thereof is let out to tenant;

(r) “pandal” means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, darma, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;

(s) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(t) “State” means the State of Haryana.

**Fire and Emergency Services.**

3. There shall be Fire and Emergency Services for the State of Haryana consisting of officers and officials of the Fire and Emergency Services who shall be posted anywhere within the State:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any other service or disaster to be Fire and Emergency Service.

**Appointment of Director.**

4. The Government may appoint any suitable officer of Group ‘A’ services as Director, Haryana Fire and Emergency Services.

**Powers, duties and functions of Director.**

5. (1) The Director shall subject to the superintendence and control of the Government, direct and regulate all matters of fire safety and prevention, fire fighting equipments, machinery and appliances, training, distribution of duties, study of laws and maintenance of discipline of personnel in the Fire and Emergency Services.

(2) The Director shall,—

- (i) keep liaison with the Government for the development of Fire and Emergency Services;
- (ii) frame and take steps for implementation of the policies relating to the development of Fire and Emergency Services after obtaining approval of Government;
- (iii) prepare and submit plans and proposals to the Government with regard to the periodical review of fire equipments, properties and manpower for effective implementation of Fire and Emergency Services;
- (iv) ensure that Fire and Emergency Management Plans of the Fire Stations and other field formations are prepared in conformity with the respective State Disaster Management Plans;
- (v) ensure deployment of Fire and Emergency Services, resources, equipments and fire personnel at standby duty for any fire response or any other emergency within the State as well as for adjoining States;
- (vi) take or cause to be taken such effective steps and measures in case of major fire, house collapse and other emergency services;
- (vii) investigate or cause to be investigated the reason of fire and submit the report to the Government with the recommendations including implementation of fire precautionary measures;
- (viii) depute such number of members/personnel as may be necessary to assist any Fire Officer of the Fire and Emergency Services;
- (ix) implement the policies framed by the Government from time to time;

- (x) establish advance training centres for providing training in the field of fire and rescue operations;
- (xi) represent the State of Haryana in National and International forums to update the standard of Fire and Emergency Services;
- (xii) perform any other function or duty as may be necessary for carrying out the provisions of this Act.

**Setting up of fire divisions, fire stations and other field formations.**

6. (1) The Government for the purpose of securing fire prevention and life safety measures within the State shall, by notification in the Official Gazette, constitute as many fire divisions, fire stations and other field formations, as it may deem fit to meet with the need of Fire and Emergency Services, having regard to the population, potential fire hazards in industrial sector, commercial and mercantile establishments and buildings.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the fire divisions, fire stations and other field formations for administrative and operational efficiency.

**Appointment, powers, duties and functions of Fire Officer.**

7. (1) The Government or the Director shall appoint a Fire Officer for each fire station, who shall be the officer-in-charge of the fire station and shall be responsible for the maintenance of communication system, water resources including hydrants, operation of Fire and Emergency Services within his area.

(2) Subject to the control, direction and superintendence of the Director, the Fire Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (2), the concerned Fire Officer shall,—

- (i) in case of Fire and Emergency Services, act as Commanding Officer and in such a situation, the other Fire and Emergency Services not under his control shall work under his command;
- (ii) ensure that Fire and Emergency Management Plan of the Fire Station and other field formations is prepared in conformity with the respective District Disaster Management Plan;
- (iii) ensure the timely turnout of fire units on fire and emergency related calls as per such standard operating procedures, as may be prescribed;
- (iv) ensure deployment of Fire and Emergency Services, resources, equipments and fire personnel at standby duty for any fire response or any other emergency within his jurisdiction.

**Method of recruitment of members of Fire and Emergency Services.**

8. The method of recruitment, the pay and allowances and all other conditions of service of the members of the Fire and Emergency Services appointed or engaged, shall be such, as may be prescribed.

**Auxiliary Fire and Emergency Service.**

9. Whenever it appears to the Government that it is necessary to augment the Fire and Emergency Services, it may raise an auxiliary Fire and Emergency Service by enrolment of volunteers for such area and on such terms and conditions, as it may deem fit.

**Powers of Officer-in-charge.**

10. On the occurrence of fire in any area, the officer/official of the fire fighting operations on the spot shall be the officer-in-charge who may,—

- (i) order any other member of the Fire and Emergency Services to remove any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing of fire or for saving life or property;
- (ii) close any street or passage in or near which a fire is being fought and rescue operation is in progress;
- (iii) break into or through or pull down any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operations;
- (iv) require the authority in-charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations;
- (v) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the fire fighting operations as if he is/was an officer-in-charge of a police station and shall be entitled to the same immunities and protection as an officer-in-charge of a police station;
- (vi) detain a person who wilfully obstructs and hinders Fire and Emergency Services personnel in fire fighting and rescue operations and hand over him to a police officer or at the nearest police station without delay specifying the time, date and reasons of detention in writing.

**Requisition of fire fighting property.**

11. Where the Director or Fire Officer or officer-in-charge of a fire fighting or any emergency operation requires fire fighting equipment and appliance or property of any other authority or any institution or individual, he may, by order, requisite such equipment or property for the purpose of extinguishing fire or to meet with any other emergencies in any area and take possession thereof from the authority or any institution or individual, as the case may be.

**Power to arrange water supply and other necessary measures.**

12. (1) It shall be lawful for the officer-in-charge of the fire fighting operations to draw water from any source in the area which he considers necessary during fire fighting operations, as may be required and on such occasions, the owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose.

(2) The officer-in-charge of the fire fighting operations shall ensure adequate supply of water for use in the incident of fire and shall take all necessary measures for fire fighting operation.

**No compensation for interruption of water supply.**

13. No person in-charge of water supply in any area shall have right to claim for any compensation for damages by reason of any interruption of supply of water caused in compliance with sub-section (1) of section 12.

**Charges for water consumption.**

14. No charges shall be claimed by any local authority for water consumed in fire fighting operations or fire drills or for installation and maintenance of hydrants static water tanks or any other arrangement of water supply for fire fighting purposes.

**Preventive measures.**

15. The Government shall, by notification, require any owner or occupier of any place or premises in any area which in its opinion is likely to cause risk of fire, to take such preventive measures, as may be specified in such notification.

**Fire prevention and life safety measures in pandal.**

16. (1) The erector of pandal shall be deemed to be self-regulator for taking fire prevention and life safety measures as per provisions of this Act.

(2) The erector of pandal shall display at a prominent place in the pandal, a declaration in the prescribed form under his own signature to the effect that he has taken all prescribed fire prevention and life safety measures.

(3) The Director or any officer authorized by him in this behalf shall have the power to enter and inspect the pandal to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with the directions to remove them within a specified time. If such directions are not complied with within the time given, the Director or the officer authorised by him shall seal the pandal.

(4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and life safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues.

**Removal of encroachment, objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting.**

17. (1) Whenever it comes to the notice of the Director or any other officer authorized by him, he may direct the removal of encroachment, objects or goods likely to cause risk of fire or any obstruction to fire fighting to a place of safety and on failure of the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director or any other officer authorized by him in this behalf may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation and in case the Director or an officer authorised by him in this behalf is not satisfied with such representation, shall with detailed reasons report the matter to the concerned District Magistrate.

(2) On receipt of a report under sub-section (1), the District Magistrate shall, by means of a notice served in such manner, as he may think fit, give a reasonable opportunity to owner, occupier or erector, as the case may be of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to fire fighting.

(3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-section (2), the District Magistrate after considering the representation, may withdraw the notice or make an order to seize, detain or remove such encroachment, objects or goods.

(4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice, in the manner as may be prescribed, to the person in possession thereof at the time of seizure that the said objects or goods shall be sold as if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(5) On the failure of the person in whose possession the objects or goods were at the time of seizure, to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the District Magistrate shall sell them in public auction.

**Liability of owner or occupiers for approval of fire fighting scheme.**

18. (1) In compliance of the provisions of Part IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, Haryana Building Code, 2017 and any other State law or bye-laws, as applicable on relevant premises, the owner or the occupier of a building, who is responsible either individually or jointly shall-

(i) provide fire fighting installations and life safety measures;

(ii) maintain the fire prevention and life safety measures in operational condition at all times.

(2) Any person proposing to construct a building as mentioned in clauses (a) and (b) hereunder, after approval of building plans from the officer competent to approve the same under the relevant law, shall apply for approval of the fire fighting scheme conforming to the provisions of this Act and Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, to the Director or any officer authorized by him in this behalf, in such form, alongwith such fee, as may be prescribed, namely:-

(a) all high rise buildings (except residential buildings upto height of 16.5 mtrs); and

(b) special buildings including-

- (i) hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies, where any of these buildings have floor area more than five hundred square meter (500 square meters) on any one or more floors;
- (ii) educational buildings having height of nine meters (9 meters) and above;
- (iii) institutional buildings having height of nine meters (9 meters) and above;
- (iv) all assembly buildings;
- (v) buildings, having area more than three hundred square meters (300 square meters) of incidental assembly occupancy on any floor; and
- (vi) buildings with two basements or more, or with one basement of area more than five hundred square meters (500 square meters) unless otherwise mentioned specifically in the provisions.

(3) Any officer duly authorized by the Director in this behalf may take cognizance of any application and shall scrutinize the application with regard to the requirement of Haryana Building Code, 2017 and Part-IV of National Building Code, 1983 as revised from time to time. The Director or any officer authorised by him in this behalf, after scrutiny may grant the approval of fire fighting scheme which shall be valid for a period of five years for the buildings mentioned in clause (a) of sub-section (2) and for a period of two years for the buildings mentioned in clause (b) of sub-section (2) or reject the said application after recording reasons within such time, as may be prescribed:

Provided that the Director or any other officer authorized by him in this behalf while approving the Fire Fighting Scheme may impose any additional conditions/fire safety measures, which he deems fit, for the safety of people and safety of the building depending upon the ground situation.

(4) In case of approach road/ abutting road on which building is to be constructed and set backs or open space around such building to be constructed, the parameters laid down under the Haryana Building Code 2017, shall be applicable.

(5) The maximum height of the storage building shall be permissible up to twenty one meters (21 meters) subject to the condition that no regular/continuous human habitation shall be accessible for general public beyond fifteen meters (15 meters) in height. In case of classes of occupancy or building for which fire prevention and fire safety measures are not mentioned in the provisions of Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time and separate guidelines are not issued by the Bureau of Indian Standards or Oil India Safety Directorate, the Director or any officer authorized by him in this behalf may require the owner

or occupier of such occupancy or building or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with the parameters laid down by the National Fire Protection Association Institution (U.S.A.).

(6) The maximum travel distance of the building shall be such as specified in the Haryana Building Code, 2017 as revised from time to time.

(7) The maximum height of the industrial building shall be permissible up to thirty meters (30 meters) for low and moderate hazard buildings (except high hazard buildings) subject to the condition that no regular/continuous human habitation is permitted beyond eighteen meters (18 meters) in height for low and moderate hazard buildings. In case of classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and life safety measures are not mentioned in the provisions of Part-IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time and time and separate guidelines are not issued by the Bureau of Indian Standards or Oil India Safety Directorate, in such cases, the Director or any officer authorized by him in this behalf, may require the owner or occupier of such occupancy or building or premises to provide fire prevention and life safety measures in accordance with the parameters laid down by the National Fire Protection Association Institution (U.S.A.).

**Issuance of Fire Safety Certificate.**

19. (1) On completion of the construction of the building mentioned under sub-section (2) of section 18 and installation of the fire protection and preventive measures as per approved Fire Fighting Scheme, the owner of the building shall apply for fire safety certificate to the Director or any officer authorized by him in this behalf, in such form alongwith such fee, as may be prescribed.

(2) On receipt of application under sub-section (1), the concerned officer shall scrutinize the application and inspect the building for compliance of fire fighting scheme.

(3) After inspection of fire safety installation and means of escape as per approved fire fighting scheme, the concerned officer shall submit his report to the Director or any other officer authorised by him within such time, as may be prescribed. After examination, the Director or any officer authorised by him may grant approval and issue fire safety certificate or reject the said application after recording the reasons, within such time as may be prescribed.

(4) The fire safety certificate issued for the buildings specified in clause (a) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years, for residential buildings above sixteen and half meters (16.5 meters) shall be valid for five years and for special buildings as specified in clause (b) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years.

(5) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, no authority empowered to issue the occupation Certificate of such building shall issue the occupation certificate unless the provisions of this section are complied with:

Provided that the authority competent to approve the fire safety certificate may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures as he may deem fit, for the safety of people and building depending upon the ground situation.

(6) The owner or occupier of the building shall give a self-declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. The Fire Officer may randomly check such building. In case there is any addition/alteration beyond permissible limits under the Haryana Building Code,

2017, the fire safety certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per the provisions of section 18.

**Renewal of fire safety certificate.**

20. (1) The owner or occupier of building shall apply for renewal of fire safety certificate within such period in such form, alongwith such fee, as may be prescribed.

(2) The Fire Officer shall scrutinize the application and carry out the inspection of fire safety installations, means of escape etc. and if the building fulfils the prescribed norms, the Fire Officer or any officer authorized by the Director in this behalf, shall issue the renewal of fire safety certificate or reject the same after recording reasons in this regard within such time as may be prescribed:

Provided that the Fire Officer or any officer authorised by the Director competent to approve the renewal of fire safety certificate may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures which he may deem fit, for the safety of people and building depending upon the ground situation.

(3) The validity of renewal of fire safety certificate shall be three years for buildings as mentioned under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 18.

(4) The owner or occupier of the building shall give a self-declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. The Fire Officer may randomly check such building. In case there is any addition/alteration beyond permissible limits under the Haryana Building Code, 2017, the renewal of said fire safety certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per the provisions of section 18.

**Cancellation of fire safety certificate.**

21. (1) If the owner or occupier, as the case may be, fails to comply with the directions issued by the Director or any officer authorised by him in this behalf, the fire safety certificate or renewal of fire safety certificate issued under sections 19 and 20, may be cancelled by the issuing authority after giving an opportunity of hearing to the owner or occupier.

(2) The owner or occupier of the building, whose fire safety certificate has been cancelled, shall not be entitled to occupy the building or premises on the ground of non-compliance of fire prevention and life safety measures.

**Appointment and functions of Fire Safety Officer by owner or occupier.**

22. (1) To ensure effective fire prevention and life safety measures in all buildings as per provisions of Part-IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, every owner or occupier, individually or jointly, as the case may be, shall appoint a Fire Safety Officer, having such qualifications, as may be prescribed.

(2) In case of a vacancy of the Fire Safety Officer appointed under sub-section (1), either on resignation or otherwise, the owner or occupier individually or jointly, as the case may be, shall appoint the Fire Safety Officer immediately.

(3) In case of the non-appointment of the Fire Safety Officer under sub-section (1) and (2), the Fire Officer may take such steps as he deems necessary as per the provisions of this Act.

(4) The Fire Safety Officer shall have to undergo training at the Fire and Emergency Services Training Institute established by the Government:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service College, Nagpur run by the Ministry of Home Affairs or at any other equivalent institution recognized by the Government, shall not be required to take such training.

**Power of inspection.**

**23. (1)** The Fire Officer authorized by the Director in this behalf may, after giving three hours notice to the occupier, or if there is no occupier, to the owner of any place or building or part thereof, enter and inspect such place or building or part thereof at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures:

Provided that the Fire Officer authorized by the Director in this behalf, may enter into and inspect any place or building or part thereof at any time if it appears to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety of life and property.

(2) The Fire Officer shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of such place or building or part thereof, for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) The owner or occupier or any other person shall not obstruct or cause any obstruction to the entry into or upon any place or building or part thereof of a Fire Officer and shall not manhandle with the Fire Officer during such inspection.

(4) On entry to any such place or building or part thereof used as a human dwelling, due regard shall be paid by the Fire Officer to the social and religious sentiments of the occupiers:

Provided that if any place, building or part thereof in the actual occupancy of any woman, who, according to the custom does not appear in public, then a notice is required to be given to such woman with liberty to withdraw herself from such place and every reasonable facility is required to be afforded to her for such purpose.

(5) After carrying out the inspection under this section, the Fire Officer shall give a report of such inspection to the Director or any other officer authorized by him in this behalf.

(6) The Director or any other officer authorized by him in this behalf shall, after receipt of the report, record his views on the deviations from or the contraventions of the requirements with regard to the fire prevention and life safety measures or the inadequacy or non-compliance of such measures provided or to be provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such place or building or part thereof and shall issue a notice to the owner or

occupier of such place, building or part thereof directing him to undertake such measures within such time as may be specified in the notice.

(7) The Director or any other officer authorized by him in this behalf in the event of non-compliance of notice issued shall take such steps as he deems fit under the provisions of this Act.

**Provisions regarding certain buildings.**

24. (1) The Fire Officer or any other officer authorized by the Director in this behalf may enter and inspect any building, the construction of which was completed on or before the commencement of this Act or any building which was under construction on such date in which such inspection appears to be necessary for ascertaining the adequacy of fire prevention and life safety measures.

(2) The Fire Officer or any other officer authorised by the Director shall after inspection of the building under sub-section (1) and after taking into consideration—

- (i) the provision under which the plan of said building was sanctioned;
- (ii) the conditions imposed, if any, by the local authority at the time of sanction of the plan of said building; and
- (iii) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures specified for such building as per provisions of Part-IV of the National Building Code, 1983 as revised from time to time,

shall submit a report of inspection made by him to the Director or any other officer authorized by him in this behalf.

**Penalties for violation of section 12.**

25. Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) of section 12, without prejudice to any other action taken against him under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

**Penalty in case of non-appointment of Fire Safety Officer.**

26. (1) If any owner or occupier of a building fails to appoint Fire Safety Officer under section 22 within thirty days of the receipt of a notice given in this behalf by the Director or the Fire Officer, as the case may be, shall be deemed to be in default jointly and severally and shall be liable to pay such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meter of the area owned or occupied including the common areas in the building as determined by the Director or any officer authorized by him for each month of default or part thereof.

(2) The amount due as penalty under sub-section (1) shall be recovered as an arrear of land revenue.

**Liability of owner to pay compensation.**

27. (1) Any person whose building catches fire on account of an action of his own or of his agent, deliberately or negligently, shall be liable to pay compensation to any other person suffering any damage from such fire.

(2) All claims under sub-section (1) shall be referred to the Director within thirty days from the date when the damage was caused.

(3) The Director shall, after giving an opportunity of being heard to the concerned persons, may determine the amount of compensation and pass an order in this regard while fixing the liability of the persons for paying such compensation. The order passed under this sub-section shall have the force of decree of a civil court and shall be implemented within thirty days from the date of receipt of the order.

**Penalty for wilfully obstructing fire fighting, rescue operations.**

28. Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the Fire and Emergency Services, who is engaged in fire fighting operations, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

**False report.**

29. Any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

**General provision for punishment.**

30. Whoever contravenes any provisions of this Act or any rule or notification made thereunder except as provided specifically in this Act, shall without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to one thousand rupees for everyday during which such offence continues.

**Offence by companies.**

31. (1) Where an offence under this Act has been committed by a Company, every person who, at the time the offence was committed, was in-charge of, and was responsible for the conduct of the affairs of the Company shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be liable for punishment as per sub-section (1).

Explanation.- (i) 'company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) 'director' means a director or a partner of the firm.

**Compounding of offences.**

32. (1) Any offence committed under this Act may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officer and for such amount, as the Government may, by notification, specify in this behalf:

	<p>Provided that no offence shall be compounded unless the notices or orders issued under this Act are complied with.</p> <p>(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence.</p>
<b>Protection of action taken in good faith.</b>	<b>33.</b> No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.
<b>Cognizance of prosecution.</b>	<b>34.</b> No court shall take cognizance of an offence under this Act, except on the complaint of or upon information received from the Director or concerned Fire Officer of the Fire and Emergency Services.
<b>Jurisdiction.</b>	<b>35.</b> The Court of Sub-Divisional Magistrate shall try an offence punishable under this Act.
<b>Appeal.</b>	<p><b>36.</b> (1) Any person aggrieved by any notice or order of the Director or any other officer authorised by him in this behalf may prefer an appeal against such notice or order to the appellate authority within a period of sixty days:</p> <p>Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the such period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.</p> <p>(2) An order passed by the appellate authority in the appeal shall be final.</p>
<b>Establishment of fire and emergency training institute.</b>	<p><b>37.</b> (1) The Government may establish and maintain one or more training institutes in the State of Haryana for providing courses of instructions in the prevention and extinguishment of fire for the fire service personnel and private candidates from industries, high rise buildings and other Government and Non-Government establishments.</p> <p>(2) The Government may extend the training facilities to the local bodies and industrial undertakings as well as to the fire and emergency service of other States on payment of such fee and charges, as may be prescribed.</p> <p>(3) The Government shall prescribe such procedure as it may deem fit for providing a course of instruction in the prevention and extinguishment of fire.</p> <p>(4) Subject to the observance of general rules applicable to other employees of the Government in relation to training, the employees of the Fire and Emergency Services may be sent to training in the field of scientific and modern techniques of fire protection and fire safety measures and allied matters in any institute within or out of India at the cost and expense of the Government for the administration of the provisions of this Act.</p>
<b>Community awareness and training programme.</b>	<b>38.</b> The Fire Officer shall conduct community awareness and training programmes on preventive measures on fire and other emergencies. The Fire Officer may render assistance and consultation to the communities in matters related to fire prevention.
<b>Levy of fire tax.</b>	<p><b>39.</b> (1) A fire tax shall be levied on buildings on which property tax is levied by any local authority.</p> <p>(2) The fire tax shall be levied at such rate in terms of percentage of property tax as the Government may, by notification in the Official Gazette, determine from time to time.</p>

- Mode of assessment, collection, etc. of fire tax.** 40. (1) The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law authorizing the local authority of the area to levy such tax shall, on behalf of the Government, assess, collect and enforce payment of the fire tax in the same manner, as the property tax is assessed, paid and collected.
- (2) Such portion of the total amount of the fire tax as the Government may determine, shall be deducted by the local authority to meet the cost of collection of the fire tax.
- (3) The net amount of the fire tax collected under this Act reduced by the cost of collection of fire tax shall be paid to the Government, in such manner and at such intervals, as may be prescribed.
- Charges on deployment of Fire and Emergency Services beyond limits of State.** 41. (1) Where members of the Fire and Emergency Services are deployed alongwith equipment and appliances beyond the limits of State in order to extinguish a fire in the neighbourhood on the request of any Government or local body or Fire and Emergency Services, such Government or local body or Fire and Emergency Services, as the case may be, shall be liable to pay such charges as may be prescribed.
- (2) No members of Fire and Emergency Services shall be deployed for the purpose as mentioned under sub-section (1) without prior permission of the Director or any other officer authorized by him in this behalf who shall not be below the rank of Deputy Director (Technical).
- (3) The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the service of a notice of demand by the Director or any other officer authorized by the Director in this behalf, as the case may be, and if it is not paid within that period, it shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- Charges on deployment of Fire and Emergency Services for Stand by duty within State.** 42. (1) No charges shall be levied for extinguishing the fire and rescue operations within the State.
- (2) The Government shall, by notification specify the charges for deployment of members of Fire and Emergency Services alongwith equipment and appliances for the private purpose and for standby duty for a specific duration.
- Recovery of dues.** 43. Any amount payable under this Act shall be recovered as arrears of land revenue.
- Reciprocal fire fighting arrangements with other Fire and Emergency Services.** 44. The Director may, with the previous sanction of the Government, enter into an agreement with any Fire and Emergency Services or the authority which maintains the said Fire and Emergency Services, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel or equipment or both, for fire fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest.
- Declaration of Fire and Emergency Services as technical service.** 45. Without prejudice to the provisions of any other state law on the subject for the time being in force, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any class or category of Fire and Emergency Services as technical service.
- General power to obtain information.** 46. The Director or any other officer authorized by him in this behalf may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building to supply information with respect to the character of such building, the available water supplies and means of access thereto and any other material

particulars as he may deem necessary and such owner or occupier shall be liable to furnish all information under his possession.

**Power to seal buildings or premises.**

**47.** (1) Where on receipt of a report from Fire Officer under sections 23 and 24, or suo-moto, it appears to the Director or any officer authorized by him that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building to remove them from such building forthwith.

(2) If an order made by the Director or any officer authorized by him under sub-section (1) is not complied with, the Director or any officer authorized by him may direct—

(i) to disconnect the supply of electricity of the building to concerned authority and such authority shall comply with said directions;

(ii) to disconnect the water and sewer of the building or premises to the concerned authority and such authority shall comply with such directions;

(iii) any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under clause (iii) of sub-section (2), the Director or any other officer authorized by him in this behalf shall seal the building.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director or any officer authorized by him.

(5) Any person who removes such seal except under an order made by the Director or any officer authorized by him, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

**Police officers and others to aid.**

**48.** In fire fighting operations or any other duties related to seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire on the request of the officer-in-charge of the fire fighting operation, it shall be the duty of a police officer or employees of the police force to assist and aid the officer-in-charge of the fire fighting operation in performance of such duties.

**Compensation to member of Fire and Emergency Services.**

**49.** If the member of the Fire and Emergency Services become permanently disabled or dies during discharging the fire fighting and rescue operation duties, the Government shall pay adequate compensation to such member or to the next of kin of deceased, as the case may be as specified by the Government, by notification in the Official Gazette.

**Officers to be public servants.**

**50.** Every member of Fire and Emergency Services shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

**Restriction to form association or part of association etc.**

**51.** (1) No member of the Fire and Emergency Services shall without the previous sanction of the Government:

(i) be a member of, or be associated in any way with, any union, labour union and political association;

(ii) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the

- bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.
- Power to make rules.** 52. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.
- Delegation of powers.** 53. The Director may, by order direct, that any power conferred or any duty imposed upon him, by or under this Act, shall in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the order, be exercised and performed by such officer as specified in the order.
- Power to remove difficulties.** 54. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
- Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of State Legislature.
- Act to have overriding effect.** 55. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force, the provisions of this Act shall have overriding effect.
- Repeal and savings.** 56. (1) The Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009) is hereby repealed.
- (2) Nothing in this Act shall affect—
- (i) any right, interest or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this Act; or
- (ii) any legal proceedings or remedy in respect of such right, interest or liability; or
- (iii) anything done or suffered before the commencement of this Act; or
- (iv) any rule framed under the repealed Act which is not inconsistent with this Act.

**BIMLESH TANWAR,**  
**ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,**  
**LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.**